उमा प्रचार

वर्ष १३,अंक ४८

जनवरी से मार्च २०१०

पंचायती राज में स्वंयसेवी संस्थाओं की भूमिका
राजू कुमार

धुंध से बाहर निकलने की धुन
अनुज भट्ट

पंचायत समाचार

73वें संविधान संशोधन के बाद इस वर्ष मध्य प्रदेश में चौथा और छत्तीसगढ़ में दूसरा पंचायत चुनाव संपन्न हुआ। इस साल देश के अन्य राज्यों के भी पंचायत चुनाव होने हैं। इस तरह पंचायत चुनावों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों, खासकर महिला प्रतिनिधियों की समस्यायें खत्म नहीं हो रही हैं।

पंचायतों का आरक्षण लगातार बदलते रहने से ज्यादातर प्रतिनिधि नए होते हैं। इन्हें पंचायत के काम–काज की जानकारी नहीं होती। ऐसे प्रतिनिधियों को लगातार प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त करने की जरूरत है। स्वैच्छिक संस्थायें यह काम बखूबी निभा सकती हैं।

पंचायतों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और चुनाव सुधार में स्वैच्छिक संस्थाओं के महत्त्व के बारे में बता रहे हैं – राजू कुमार।

पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ने से राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति तो बढ़ी है। लेकिन समाज ने उनकी इस उपस्थिति को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। इस अस्वीकृति के बीच भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है।

महिलाओं की इस कामयाबी का किस्सा सुना रहीं हैं – अनुजा भट्ट।

इसके साथ ही प्रस्तुत हैं कुछ अन्य समाचार।

पंचायती राज में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका

राजू कुमार

इस साल देश के विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने वाले हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पंचायतों के चुनाव जनवरी में हो गए। इन दोनों ही राज्यों को 73वें संविधान संशोधन के बाद सबसे पहले पंचायत चुनाव कराने का श्रेय हासिल है, तब छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का ही भाग था। पंचायती राज संस्थाएं यानी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव और उनके कार्य दोनों ही स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए महत्त्वपूर्ण होते हैं। सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए किए जा रहे अधिकांश काम पंचायतों के माध्यम से होते हैं और स्वयंसेवी संस्थायें भी ग्रामीण और सामाजिक विकास का ही काम करती हैं।

इस तरह देखा जाए तो एक सशक्त पंचायती राज व्यवस्था में न केवल विकास की गति तेज होती है, बल्कि संगठनों एवं संस्थाओं के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। मध्य प्रदेश में चौथे पंचायत चुनाव और छत्तीसगढ़ में दूसरे पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब निर्वाचित प्रतिनिधि पदभार ग्रहण कर रहे हैं। चुनाव में सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के हजारों प्रतिनिधियों को भी चुनाव में जीत मिली है, पर इसके बाद भी उनकी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि पद ग्रहण करने के बाद वास्तविक चुनौतियों से उनका सामना होगा। पंचायती राज में पंचायतों का आरक्षण लगातार बदलता रहता है, ऐसे में आरक्षण की प्रक्रियाओं के कारण आधे से ज्यादा प्रतिनिधि नए होते हैं। इसमें भी निर्वाचित महिलाओं में दलितों और आदिवासियों में नए प्रतिनिधियों की संख्या ज्यादा होती है। ऐसे प्रतिनिधियों को पंचायत के कामकाज को लेकर कई उलझनों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक दबाव, समाज का असहयोगात्मक रवैया, विरोधियों के अड़ंगे आदि के कारण वे परेशान हो जाते हैं। अधिनियम के अंतर्गत अक्षम पाए जाने पर जन – प्रतिनिधि को वापस बुलाने का भी प्रावधान इसका एक कारण रहा। ऐसे माहौल में यह जरूरी है कि कमजोर वर्ग के प्रतिनिधियों को सशक्त करने का काम किया जाए। सरकार अपने स्तर पर उनके प्रशिक्षण का काम करती है, पर इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका भी बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।

दलीय आधार पर चुनाव नहीं होने के कारण इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं और जन–संगठनों की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। उनकी सक्रियता के कारण ही अनारक्षित सीटों से भी वंचित वर्ग के लोग चुनाव जीत कर लोकतंत्र में सहभागी बन ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। पर सामान्य तौर देखने में यह आया है कि चुनाव के बाद जिस तरह से राजनीतिक दल निष्क्रिय हो जाते हैं, उसी तरह से स्वयंसेवी संस्थाओं और जन–संगठनों में भी सक्रियता नहीं रह जाती। कुछ ऐसी संस्थायें हैं, जो पंचायती राज पर ही काम कर रही हैं, वे ही सक्रिय रहती हैं। पर चुनाव पूर्व संस्थाओं की सक्रियता से ज्यादा चुनाव बाद की सक्रियता की जरूरत है।

पंचायत के मुद्दे पर कार्यरत कई संस्थाओं ने दोनों ही प्रदेशों में स्वशासन अभियान चलाया। इसमें उन्हें कई जगह सफलता भी मिली और उनके प्रयासों से वंचित वर्गों में से कई ऐसे प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, जिन्होंने सत्ता में आने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। पर ऐसे लोगों की सत्ता में भागीदारी ज्यादा नहीं हो सके, इसके लिए समाज के संपन्न और राजनीतिक रूप से सशक्त वर्ग द्वारा कई भ्रम फैलाए गए। स्वयंसेवी संस्थायें वंचित वर्ग को प्रशिक्षित भी करती हैं और सहयोग भी करती हैं।

कई महिला संगठनों और महिलाओं के लिए कार्यरत संस्थाओं ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जिलों में महिलाओं के सम्मेलन किए। महिलाओं को

चुनाव लड़ने के लिए आगे करने में समाज अभी भी सहयोग नहीं करता, इसीलिए आदिवासी और दलित समुदाय की महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करना और सहयोग करना बहुत ही महत्त्वपूर्ण काम था। ग्रामीण विकास और गरीबों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पंचायत चुनाव में सही लोगों का चुना जाना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है और इस काम में संस्थाओं ने पहल की, वहां अनारक्षित सीटों पर दलित और महिलाएं बड़ी संख्या में उम्मीदवार बन सके। कई जगहों पर संस्थाओं की पहल से ग्रामीणों ने जन घोषणा पत्र भी जारी किए। यहां तक कि ग्रामीणों ने उम्मीदवारों से सवाल–जवाब भी किए। उन्होंने अपने–अपने क्षेत्र में दबंग एवं भ्रष्ट उम्मीदवारों को हराने और पंचायत चुनाव में बड़े पैमाने पर बटने वाली शराब और पैसे के खिलाफ अभियान चलाया। सभी संगठनों और संस्थाओं ने अपने–अपने प्रभाव क्षेत्र में पंचायत चुनाव को लेकर गंभीरता दिखाई।

संस्थाओं और जन–संगठनों ने अपने–अपने तरीके से पंचायत चुनाव प्रक्रिया को मजबूती देने, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और चुनाव सुधार के लिए पिछले छह महीने में जो सक्रियता दिखाई, यदि वह आगे नहीं रही, तो सुदृढ़ एवं सशक्त ग्राम स्वराज का सपना साकार नहीं हो पाएगा। स्वयंसेवी संस्थाओं एवं जन–संगठनों के लिए अब यह जरूरी है, कि इन निर्वाचित जन–प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण, सहयोग के लिए कार्यक्रम आयोजित करें। इसके लिए जिन बातों को लेकर उन्होंने अपने–अपने क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूक किया था, उनके साथ मिलकर पंचायतों के विकास में सहयोगात्मक भूमिका निभाएं।

यह सर्वविदित है कि अधिकांश संस्थाओं को ग्रामीण विकास में योगदान के लिए ही अनुदान मिलता है। ऐसे में पंचायत और पंचायत प्रतिनिधियों से परे कैसे काम हो सकता है। महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के अधिकारों और उनकी राजनीतिक सशक्ति के लिए संस्थाओं को आगे आना होगा। पंचायत के संसाधनों को बेहतर उपयोग और ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए भी यह जरूरी है कि निर्वाचित जन–प्रतिनिधियों के कौशल विकास एवं पारदर्शी पंचायत व्यवस्था के लिए संस्थाएं काम करें।

देशबंधु से साभार

धुंध से बाहर निकलने की धुन

अनुजा भट्ट

महिलाएं हाशिए से बाहर आने की जद्दोजहद में हैं। इसीलिए संसद से लेकर सड़क तक – खबरों में वे हर जगह मौजूद हैं। ये खबरें सकारात्मक हैं और नकारात्मक भी। भंवरी देवी को अब भी न्याय नहीं मिला है, लेकिन उनके संघर्ष का नतीजा अब ग्राम पंचायतों में महिलाओं को दिए जा रहे पचास प्रतिशत आरक्षण के रूप में सबके सामने है।

महिलाएं सरपंच के तौर पर भले चुनाव जीत जाती हैं, लेकिन जाति और धर्म के पाखंड के कारण अब भी उनको कोई पानी नहीं पिलाता। वे अपने लिए पानी का गिलास खुद भरती हैं। कुर्सियों पर विराजमान ऊंची जाति के लोगों के सामने उनको अब भी फर्श पर बैठना पड़ता है। एक स्त्री, दूसरी स्त्री से अपमानित होती है। यह सब जानकारी सर्वेक्षण से मिलती है।

अहमदाबाद के नवसृजन ट्रस्ट के अध्ययन के अनुसार आज भी पंचायतों में पानी की पेशकश करने जैसे सामान्य शिष्टाचार के मामले में भी 62.71 प्रतिशत निर्वाचित दलित सदस्यों के साथ भेदभाव किया जाता है। लेकिन निराशा के इन्हीं कुहासों को चीरकर अब यही महिलाएं आशा का संदेश लेकर भी आ रही हैं। बंधुआ मजदूर महिला सरपंच चुनी जाती है। अब उन्होंने भी अपने बल पर अपनी जमीन

तलाशने का काम शुरू कर दिया है। पंचायतों में महिलाओं के तैंतीस प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर पचास प्रतिशत करने के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी भी दे दी है। ये राज्य हैं बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा जिन अन्य राज्यों ने इसे लागू करने के संकेत दिए हैं – वे हैं त्रिपुरा, राजस्थान और कर्नाटक।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा है कि जो भी राज्य इसे लागू करना चाहते हैं उनको पहले संविधान के अनुच्छेद 243–डी को संशोधित करने के लिए एक विधेयक लाना होगा। उस विधेयक के पारित हो जाने के बाद पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए मौजूदा तैंतीस प्रतिशत आरक्षण बढ़ कर पचास प्रतिशत हो जाएगा। यह आरक्षण सीधे भरी जाने वाली कुछ सीटों, पंयायत अध्यक्षों और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पंचायत अध्यक्षों की सीटों के लिए लागू होगा। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाने से राजनीति में अधिकाधिक महिलाओं के आगे आने का रास्ता खुलेगा। महिलाओं के सशक्तीकरण से पंचायतें और अधिक सक्षम और मजबूत होंगी।

अभी तक के नतीजों से महिलाओं की स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है। आरक्षण का लाभ तो उनको मिल ही रहा है। वे अनारक्षित सीटों पर भी चुनाव जीतती हैं। प्रेस इंफर्मेशन ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं में समाज के लिए कुछ करने की ललक है। वे बाहर की दुनिया देख रही हैं और उन बदलावों को अपने समाज में लाने की कोशिश कर रही हैं। अक्सर महिला प्रतिनिधियों के बारे में कहा जाता है कि परिवार के पुरुष उनको जिम्मेदारी नहीं निभाने देते। लेकिन कुछ संस्थाओं के सर्वेक्षण में आया है कि पुरुष नियंत्रण नहीं सहयोग और सहायता कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि महिलाएं असरदार तरीके से मामले उठाती हैं जैसे पोषण, पेयजल, स्वास्थ्य, जंगल बचाओ आदि।

महिलाओं के बारे में बनी नकारात्मक सोच के बारे में अनुभव की अपेक्षा सुनी–सुनाई बातें अधिक हैं। शुरुआती दौर में जब वे सरपंच बनी थीं तब पुरुषों के हाथ की कठपुतली मात्र थीं। पुरुष अपनी विरासत और ताकत को बढ़ाने के लिए उन्हें आगे कर देते थे। इसीलिए पंचायत में सरपंच पति जैसे जुमले सुनने को मिलने लगे। लोग यह कहने से भी नहीं चूके कि इनको बस रोटी बनाने दो, बच्चे पालने दो। महिलाएं बाहर का काम नहीं कर सकतीं। बहुत से राज्यों से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की खबरें भी आईं। लेकिन दूसरे कार्यकाल में महिलाओं के भीतर आत्मविश्वास आया। उनको लगा कि वे अपने बल पर और अपनी सामूहिक एकता को बनाए रखकर सब कुछ हासिल कर सकती हैं।

उनकी इस सोच को विस्तार देने के लिए सरकारों ने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए। बिहार की आगाज एकेडमी को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अलावा 'इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज' ने भी इस दिशा में सराहनीय काम किया है। इससे जुड़े आश नारायण राय कहते हैं कि मीडिया पेज –तीन, बॉलीवुड और फैशन में उलझा हुआ है। जमीन पर जो परिवर्तन हो रहे हैं वह उसकी अनदेखी करता है। जब गांवों का अपना बाजार बनेगा तब मीडिया को इसकी जरूरत महसूस होगी। पंचायतों में महिलाओं की बदलती तस्वीर साफ दिखाई देगी।

पश्चिम बंगाल के बारे में यूनिसेफ के एक अध्ययन में कहा गया है कि पंचायतों में महिला आरक्षण कोटे की बदौलत महिला प्रतिनिधियों ने बिना कोटे की तुलना में जन सुविधाओं में ज्यादा निवेश किया है। इसी प्रकार अच्छी सड़कें भी दोगुनी बनीं। महिला प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य, शिक्षा–खासकर, बाल स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दिया। इसी रिपोर्ट में यूनिसेफ ने कहा है कि महिला सरपंच होने से स्कूलों में छात्र–छात्राओं की उपस्थिति के तौर पर लिंग भेद में तेरह प्रतिशत की कमी आई है।

अभी हाल में सरकार ने हर पंचायत में लोककर्मी नियुक्त करने का फैसला किया है। इसमें अनुसूचित जनजाति, जनजाति या अल्पसंख्यक समुदाय और उनके महिला उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। न्यूनतम योग्यता आठवीं पास है। लोककर्मी का काम होगा मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रमों की सूचना पंचायत को

देना। वह मजदूरों के लिए आवेदन पत्र भी लिखेगा और काम पा जाने के बाद उसका नियमित ब्यौरा रखेगा। 'ग्रासरूट' की पूर्व संपादक अन्नू आनंद का मानना है कि जब महिलाएं सशक्त होंगी तभी समाज सशक्त होगा। पंचायत में महिलाओं की बढ़ती भूमिका से दहेज, घरेलू हिंसा जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी।

विभिन्न राज्यों से आई रिपोर्ट में हर राज्य की जरूरतें अलग–अलग हैं। बिहार के प्रतिनिधि मंडल का मानना है कि प्रशिक्षण के जरिए महिला पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण पर बल दिया जाए। गुजरात की आदिवासी महिला प्रतिनिधियों का कहना है कि पंचायत के भीतर एक छोटा समूह अविश्वास प्रस्ताव लाकर दलित, आदिवासी प्रतिनिधियों को हटा देता है। इसका फैसला ग्रामसभा करे न कि स्वार्थ से प्रेरित कुछ दबंग तबके। हरियाणा में महिलाएं खाप पंचायतों से परेशान हैं, क्योंकि ये समाज को जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम कर रही हैं। खाप पंचायतें, पंचायत शब्द को बदनाम कर रही हैं।

उत्तराखंड के प्रतिनिधियों का कहना है कि उत्तराखंड राज्य का अलग से पंचायत अधिनियम नहीं है। कर्नाटक में पंचायतों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है। जिससे गरीब लोगों को दिक्कत होती है। बहुत सारे लोग पंचायतों को ई–पंचायत बनाने पर भी जोर दे रहे हैं। सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत सभी विकास कार्य संबंधी जरूरी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए, जो अक्सर नहीं होती।

महिला पंच, सरपंच संगठनों ने इस बात का भी विरोध किया है कि महिला जन–प्रतिनिधियों के लिए आठवीं पास होना अनिवार्य क्यों किया जाए ? ऐसी शर्त लागू हुई तो अधिकतर महिलाओं से उनके चुनाव लड़ने का संवैधानिक हक छिन जाएगा। एक तरफ तो महिला सशक्तीकरण के नाम पर पंचायती राज में पचास प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरिक्षत किए जा रहे हैं दूसरी तरफ आम महिला को शैक्षणिक आधार पर चुनाव लड़ने से रोकना न्यायसंगत नहीं है। सरकार को चाहिए कि चुनाव से पूर्व सभी प्रत्याशी महिलाओं से शपथ पत्र भरवाया जाए कि वे चुनाव जीतने के बाद साक्षरता के बारे में गंभीरता पूर्वक सोचेंगी और साक्षर बनेंगी। सरकार को भी ऐसे साक्षर कार्यक्रम बनाने होंगे, जिसके लिए वे समय निकाल सकें।

आंकड़े भी यह स्पष्ट करते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व की भागीदारी बढ़ने के साथ–साथ विकास के मुद्दों पर जोर दिया जाने लगा है। अब पंचायतें केवल निर्माण कार्य तक सीमित नहीं हैं। वे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, विशेषकर महिलाओं से संबंधित जननी सुरक्षा, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन, पालनहार के क्रियान्वयन में भी रुचि ले रही हैं। इसी प्रकार मूलभूत सुविधाओं जैसे पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, मिड–डे मील, पोषाहार आदि में पंचायतों की भागीदारी बढ़ने लगी है।

गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक के जरिए स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में सभी पंजीकृत मतदाताओं के लिए वोट डालना अनिवार्य कर दिया है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए इस कदम को सराहनीय कहा जा रहा है। लेकिन भारत के संदर्भ में यह व्यावहारिक नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ स्वतंत्रता है। कोई भी मतदाता वोट न डाल कर अपनी इस स्वतंत्रता को दर्शाता है। विश्व के बत्तीस देशों में अनिवार्य मतदान का प्रावधान है, लेकिन बीस देशों में ही यह लागू है। जहां–जहां यह अनिवार्य किया गया वहां मतदान नब्बे प्रतिशत तक हुआ। जब पचास प्रतिशत वोट पड़े और छब्बीस प्रतिशत वाला जीत जाए तो जो चौहत्तर प्रतिशत लोग हैं उनकी राय का क्या हो ? जिसके अंतर्गत वे किसी को भी पसंद नहीं करते।

ग्रामीण विकास संस्थान, आणंद आईआरएमए केंद्र सरकार के लिए दस राज्यों में पंचायती राज की हालत पर एक स्वतंत्र रिपोर्ट तैयार कर रहा है – जिसमें गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, हरियाणा, बिहार और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। परियोजना की शोध सलाहकार कजरी मिश्र का कहना है कि यह रिपोर्ट अप्रैल 2010 तक केंद्र सरकार को सौंप दी जाएगी। इसमें पंचायतों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय पर किए गए कार्यों का विश्लेषण होगा। साथ ही यह भी देखना होगा कि राज्य किस तरह

केंद्र की योजनाओं पर अमल करते हैं। यह अध्ययन पंचायतों और सरकारों की उपलब्धियों और खामियों दोनों को सामने लाएगा।

जनसत्ता से साभार

राज्य समाचार

कर्नाटक : महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की योजना

कर्नाटक सरकार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की योजना बना रही है। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जगदीश शेट्टर ने 15 जनवरी को संवाददाताओं को बताया कि महिला आरक्षण में वृद्धि के लिए कानून संशोधन कर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। यह संशोधन विधान सभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राम, तालुक और जिला पंचायतों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है, लेकिन मतदाता इससे भी ज्यादा संख्या में महिलाओं को चुन रहे हैं।

पंचायती राज अपडेट से साभार

मध्य प्रदेश : सरपंची की नीलामी

संसद से लेकर पंचायत तक लोकतंत्र की बदहाली की नजीरें तो अक्सर देखने को मिल जाती हैं, पर जनतांत्रिक पद की नीलामी की ऐसी मिसाल शायद पहली बार देखने को मिली है। इंदौर से 35 किलोमीटर दूर रंगवासा गांव में यह मामला देखने में आया। यहां लगभग चौदह सौ मतदाताओं ने चार सौ ग्रामीणों की मौजूदगी में सरपंची को छह लाख पचपन हजार रुपए में नीलाम कर दिया।

यह अभूतपूर्व नीलामी पांच जनवरी को हुई। अगले दिन सरपंची के सोलह उम्मीदवारों के नाम वापिस लेने के बाद कैलाश चौधरी ने स्थानीय मंदिर में नीलामी की रकम जमा करा दी। बाद में चौधरी ने बताया कि सरपंच चुनाव की इस प्रक्रिया से हर कोई संतुष्ट है, क्योंकि इसमें हर किसी की स्वीकृति थी। चुनाव में धन की बर्बादी होती है और दुश्मनी पैदा होती। चौधरी की नजर में इस तरह की नीलामी में बुराई क्या है?

नए सरपंच का कहना है कि हमने एक खास उद्देश्य के लिए चुनाव को टाल दिया, इसीलिए ग्रामीण संतुष्ट हैं। सत्ताईस वर्षीय चौधरी कहते हैं कि नीलामी की इस रकम को प्राचीन राम मंदिर के पुनर्निमाण में लगाया जाएगा। ग्रामीण इस मंदिर के लिए चंदा जुटा रहे थे, पर यह पर्याप्त नहीं था। यह नीलामी दो लाख से शुरू हुई थी। पंद्रह पंचों के पदों के लिए चुनाव नहीं होगा, क्योंकि इन्हें भी नीलाम किया गया। न्यूनतम नीलामी इक्कीस सौ और पचपन सौ रखी गयी। इस विधान सभा क्षेत्र के विधायक सत्यनारायण पटेल का कहना है कि यह कोई मुद्दा नहीं है कि गांव में लोकतंत्र की किस तरीके की जीत हुई है। किसी का नाम वापिस लेने के लिए कोई जोर जबर्दस्ती नहीं की गई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की नगर पंचायत के पार्षद पद की नीलामी दो लाख में हुई थी। इस रकम का खर्च धर्मशाला के लिए किया जाएगा। दतिया जिले में भी ऐसा उदाहरण देखने को मिला। शिवकुमार यादव ने सरपंच बनने के लिए दस लाख रुपए खर्च किए। इस पैसे का इस्तेमाल क्षेत्र के विकास में किया जाएगा।

भाजपा विधायक प्रेमनारायण ठाकुर का कहना है कि पदों की यह नीलामी आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन है।

जनसत्ता से साभार

उड़ीसा : पचास प्रतिशत महिला आरक्षण की घोषणा

उड़ीसा में 1990 के शुरुआती दशक में ही राज्य की तत्कालीन बीजू पटनायक सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दे दिया था। बीजू पटनायक को त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली को अपनाने में अग्रणी माना जाता है। इसीलिए राज्य में प्रतिवर्ष उनकी जयंती पर पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भुवनेश्वर में 6 मार्च, 2010 को पंचायती राज दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य की त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में सभी स्तरों पर महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 15,000 निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि 11 विभागों के 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किए जा रहे हैं, जिनमें स्कूल और जन शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, पंचायती राज, मत्स्य पालन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण शामिल हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि जिला परिषद की अध्यक्ष जिला आयोजना समिति के उपाध्यक्ष मनोनीत किए जाएंगे। इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। इसी प्रकार पंचायत समिति के अध्यक्ष खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण विभाग की ब्लॉक–स्तरीय समिति के उपाध्यक्ष मनोनीत किए जाएंगे और जिला परिषद के सदस्य संबंधित इलाके में उच्च शिक्षा संस्थानों के संचालन निकायों में सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। पंचायत स्तर पर अधिकारियों को ग्राम पंचायत के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा।

प्रत्येक माह की एक निश्चित तारीख पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचात समिति और जिला परिषद की बैठकें आयोजित होंगी। इससे जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। राज्य की 30 जिला परिषदों, 314 पंचायत समितियों और 6,234 ग्राम पंचायतों में एक लाख से भी अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं।

पांच राज्य– बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पहले ही लागू कर चुके हैं। त्रिपुरा, कर्नाटक और केरल की सरकारों ने भी इसी तरह का प्रावधान बनाने की दिशा में कदम उठाने की इच्छा व्यक्त की है।

साभार : पंचायती राज अपडेट,मार्च 2010

झारखंड : मई–जून में पंचायत चुनाव होने की उम्मीद

झारखंड में यथाशीघ्र चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 में संशोधन की रूपरेखा तैयार की है, जिसे मंत्रिमंडल को भेजा गया है। इससे राज्य में मई–जून, 2010 में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने की संभावना है। झारखंड देश का एकमात्र राज्य है, जहां कानूनी विवाद के कारण स्थानीय निकायों के चुनाव अब तक नहीं हुए हैं। पंचायती राज विभागों के सूत्रों ने बताया कि जिन चार संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है, वे हैं – महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण, चुनाव के निरीक्षण संबंधी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड राज्य चुनाव आयोग को अधिकार देना, जेपीए में शामिल किसी शब्दावली की परिभाषा और अर्थ के बारे में कोई विवाद होने पर जन–प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 को 'रेफर करना' और केंद्र सरकार को पंचायत (एक्सटेंशन टू शेडयूल्ड एरियाज) अधिनियम (पेसा), 1996 के प्रावधानों के अनुसार त्रिस्तरीय व्यवस्था के उपाध्यक्ष पद को अनारक्षित करना। अधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार चुनाव कराने के लिए ये संशोधन जरूरी हैं। विभागीय सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल द्वारा इन संशोधनों को शीघ्र ही मंजूरी देने की आशा है।

पंचायती राज अपडेट से साभार

राष्ट्रीय समाचार

पंचायत स्तर तक पहुंचाएंगे : क्रिकेट

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) के अध्यक्ष सी. पी. जोशी ने कहा है कि राज्य में क्रिकेट को पंचायत स्तर पर पहुंचाने के लिए हम केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का सहारा लेंगे। राजस्थान में जयपुर स्थित आरसीए एकेडमी में 3 जनवरी को हुई वार्षिक साधारण सभा की बैठक के बाद जोशी ने कहा, गांव में क्रिकेट की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आरसीए केंद्र को पंचायत एवं युवा क्रीड़ा अभियान (पाइका) और नरेगा जैसी योजनाओं का लाभ उठाएगा। उन्होंने कहा, पाइका योजना से जुड़ने के लिए हम जल्दी ही केंद्रीय खेल मंत्री एम.एस.गिल से चर्चा करेंगे।

पंचायत राज अपडेट से साभार

आई.एस.एस.टी., अपर ग्राउंड फ्लोर, कोर 6–ए, इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–3 द्वारा प्रकाशित।

संयोजन : मंजुश्री मिश्र। साज–सज्जा : मो. नसीम आरिफ । ई–मेल : **isstdel@isst-india.org**

वेबसाइट : **www.isst-india.org** फोन : 91-11-24647873, 24653780

उमा प्रचार

वर्ष 14, अंक 49

अप्रैल से जून 2010

लद्दाख में महिला समाज

यांगचान डोलमा

खाप पंचायतें : खतरनाक मोड़ पर

अजय गौतम

अन्य समाचार

अन्य समाजों से भिन्न लद्दाखी समाज में महिलाओं को सम्मानजनक दर्जा प्राप्त था। लेकिन, आधुनिकता की इस दौड़ में आज इस समाज ने भी अपनी परंपरा भुला दी है। समाज में उनकी स्थिति पहले जैसी नहीं बची है।

राजनैतिक क्षेत्र में तो इनकी उपस्थिति मात्र खानापूर्ति ही है। यहां पर महिलाएं सार्वजनिक क्षेत्र के बदले नियमित नौकरियों में जाना पसंद करती हैं। लेकिन धीरे–धीरे बदलाव आ रहा है।

इस अंक में प्रस्तुत यांगचान डोलमा के लेख – लद्दाख में महिला समाज से लद्दाखी महिलाओं की समाज में स्थिति की एक झलक मिलेगी।

आज स्वयं को समानांतर न्यायायिक व्यवस्था मानने वाली खाप पंचायत का सबसे पहले ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। मुगल काल में विकेंद्रित न्याय व्यवस्था के लिए इन खापों का महत्त्व बढ़ा। अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ इनका इस्तेमाल किया। आज के राजनेता वोट बटोरने के लिए इनकी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सगोत्र विवाह पर अपने क्रूर निर्णय सुनाने पर खाप पंचायतें बहुत चर्चा में हैं । हिंदु मैरिज एक्ट में सगोत्र विवाह पर रोक लगाने संबंधी संशोधन की इनकी मांग है।

वैदिक काल से चली आ रही इन खाप पंचायतो के बारे में बता रहे हैं– अजय गौतम

इसके साथ ही पंचायत संबंधी अन्य जानकारियां भी आपको इस अंक में मिलेंगी।

केवल निजि वितरण के लिए

लद्दाख में महिला समाज

यांगचान डोलमा

लद्दाख में महिला होने का पारंपरिक अर्थ था, अपने व्यवहार में उदार दिखने वाले एक समाज में सम्मानजनक स्थिति रखना। लेकिन लद्दाख के उतार–चढ़ाव से भरे इतिहास के दौरान अब यह बात लागू नहीं होती। आधुनिक दौर में लद्दाख की राजनीति या शासन में किसी भी स्तर पर महिला होने का मतलब खानापूर्ति से ज्यादा नहीं है। सच तो यह है कि अब महिलाओं को लद्दाखी समाज में वह स्थान नहीं मिलता है जो उन्हें मिलना चाहिए।

जम्मू–कष्मीर में पंचायती राज संस्थाएं केंद्र सरकार के 73वें संशोधन अधिनियम के तीन साल पहले अस्तित्त्व में आईं थीं। इसमें पंच के पदों पर महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन हलका पंचायत, जो कि त्रि–स्तरीय पंचायत व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण स्तर है, के सरपंच पदों पर नहीं। लद्दाख में पंचायती संस्थाओं की शुरुआत 2001 से हुई। पहली बार हुए इस पंचायती चुनाव में 37 महिलाएं अपने–अपने गांव की पंच बनीं। उनमें से पांच ने चुनाव लड़ा। 33 प्रतिशत अनिवार्य आरक्षण की शर्त को पूरा करने की कोषिष में सरकार ने हलका पंचायतों में भी उनके लिए सीटें आरक्षित करने का आदेश दिया।

समाज और शासन के बीच मसलों को हल करने के लिए 1995 में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी) की स्थापना हुई। इस कदम का अर्थ था लद्दाखी महिलाओं के लिए राजनीतिक अवसरों में वृद्धि, शासन में उनकी आवाज को महत्त्व देना और क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार विकास के काम को आगे बढ़ाना। लेकिन, लेह जिले में यह बात महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के रूप में सामने आई। एलएएचडीसी की सामान्य परिषद के 26 सदस्यों में से सिर्फ दो नामांकित महिला पार्षद हैं और दोनों ही आरक्षित सीटों पर। स्पालजेस एंगमो को अल्पसंख्यक और ताशी एंगमो को कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के आधार पर नामित किया गया है। पहाड़ी परिषद के सदस्य के रूप में कुछ महिलाओं को मौका जरूर मिला लेकिन उनके कामकाज में कोई ऊर्जा दिखाई नहीं देती। नियोजन और कार्यसूची निर्धारित करने में उनका योगदान न के बराबर है। हलका पंचायत की महिलाओं की कहानी भी इससे अलग नहीं है।

महिला नेतृत्त्व के लिए काम करने वाले जीएम षेख कहते हैं, 'दुर्भाग्य से काउंसलर के पद पर काम करने वाली महिलाओं में समाज के मुद्दों और जरूरतों की समझ का अभाव है।' एससी/एसटी कमीशन के सदस्य सेरिंग साफेल की राय है कि महिला काउंसलरों में प्रतियोगिता का अभाव है और यही उनकी निष्क्रियता के लिए जिम्मेदार है। महिला काउंसलरों को राजनीति में प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत है।

विमेंस एलायंस ऑफ लद्दाख की महासचिव सेरिंग डोल्कर कहती हैं कि यह सोच ही महिलाओं की भागीदारी को निरुत्साहित करने वाली है। लद्दाखी महिलाओं के पुरुषों के बराबर होने का मिथक शासन और राजनीतिक प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी के तौर पर नहीं दिखता जबकि कुछ मायनों में यही बात किसी भी क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण की कसौटी है। अगर महिलाएं पूरी तरह भागीदारी नहीं करतीं और किसी भी मुद्दे पर होने वाले सार्वजनिक विमर्ष का ही नहीं, बल्कि षासन की प्रक्रिया का अंग नहीं हैं, तो वे अंधेरे में रहेंगी और विकास में उनकी कोई भूमिका नहीं होगी।

विकास में महिलाओं की भागीदारी, उनके परिप्रेक्ष्यों के समावेष और जमीनी स्तर पर वास्तविक काम में उनके योगदान को लेकर देश के दूसरे हिस्से से उनकी तुलना की जाती है और यह बात लद्दाखी महिलाओं के खिलाफ जाती है। इस मामले में जम्मू–कष्मीर सरकार के उठाए कदमों में दूरदृष्टि का

अभाव रहा है और पंचायती राज के प्रति उसकी वास्तविक प्रतिबद्धता शायद बदलती सरकारों और राजनीतिक बाध्यताओं के कारण डांवाडोल रही है। लेकिन पंचायती राज किसी एक सरकार या षासन का विषेषाधिकार नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए, बल्कि यह भारत के लोगों का विशेषाधिकार है।

पंचायती राज पहली बार नेशनल कांफ्रेंस सरकार के कार्यकाल में जनवरी, 2001 में लागू किया गया था। 2002 में कांग्रेस–पीडीपी गठबंधन सत्ता में आया और उनके कार्यकाल में पंचायतों का मौजूदा कार्यकाल मई, 2006 में समाप्त हो गया। इस दौरान राज्य में पंचायत चुनाव ही नहीं कराए गए। फिलहाल जम्मू–कष्मीर में शासन को एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनाने की पंचायती राज की क्षमता और संभावना बहुत बेहतर नहीं है। एक क्षेत्र के रूप में लद्दाख अपनी असंबद्ध स्थिति के कारण नुकसान में रहता है और एक अर्थ में उसे राज्य में ही दरकिनार कर दिया जाता है। यह बात राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र के राजनीतिक प्रतिनिधित्त्व में प्रतिबिंबित होता है। 1995 तक यहां दो लोकसभा सीटें थीं, एक लेह और दूसरी करगिल। परिसीमन के बाद अब ये चार हो गई हैं। लेह बहुत हद तक बौद्ध बहुल है और करगिल मुस्लिम बहुल। इस तथ्य ने लद्दाख को धर्म और क्षेत्र के आधार पर ध्रुवीकृत कर दिया है जिसकी वजह से विकास का काम यहां नहीं हो पाया है।

लद्दाख में शिक्षित महिलाएं सार्वजनिक क्षेत्र से बचती हैं और नियमित नौकरियों को प्राथमिकता देती हैं। बहुत से लद्दाखियों को अब भी लगता है कि जो महिलाएं राजनीति में आने की इच्छुक हैं, वे अशिक्षित व अयोग्य हैं। लेकिन बदलाव की हवा बह रही है। थिनली एंगमो का कहना है, 'महिलाओं में शिक्षा का स्तर बढ़ा है और महिलाओं के समाज में जल्द ही एक नए दौर की शुरुआत होगी। महिलाएं जिन सरकारी नौकरियों के अवसरों को प्राथमिकता देती हैं, वे घट रहे हैं इसीलिए अब वे नए अवसर तलाश रही हैं।'

जनसत्ता से साभार

ट्रैफिकिंग और पढ़ाई नियंत्रण पर पंचायतों की भूमिका

धनंजय महापात्र

केंद्र सरकार चाहती है कि नाबालिग बच्चों की ट्रैफिकिंग और छात्रों द्वारा स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने के सिलसिले पर अंकुश लगाने में पंचायतें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इस बारे में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक व्यापक कार्ययोजना पेश की है ताकि वह बाल कल्याणकारी योजनाओं पर बेहतर ढंग से क्रियान्वयन के बारे में समुचित निर्देश जारी करे। माननीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी और ए. के. पटनायक की पीठ के समक्ष सोलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने इस कार्ययोजना के बारे में बताया कि स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले सभी बच्चों का ग्राम पंचायतों के स्तर पर रिकॉर्ड तो रखा ही जाना चाहिए, साथ ही उनका पता भी लगाना चाहिए। इनमें पढ़ाई बीच में छोड़ने, स्कूल में अनुपस्थित रहने वाले छात्र और बाल मजदूर (चाहे वे गांव में कार्यरत हों या गांव छोड़कर घरेलू नौकर के रूप में अन्यत्र चले गए हों) शामिल होंगे। यदि पंचायत को पता चलता है कि कुछ बच्चे गांव या परिवार से लापता हैं तो तत्काल जांच कर स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। यह जांच कार्य इन बच्चों का पता लगाने और किसी भी स्थान से नाजायज हाथों से छुड़ाने तक जारी रखी जाए। सोलिसिटर जनरल ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि इस कार्ययोजना को संबंधित मंत्रालयों ने आवश्यक अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

कार्ययोजना में सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत उन बच्चों की एक सूची बनाए, जो परिवार के साथ नहीं रह रहे हैं और जिनकी ट्रैफिकिंग की गई है। यह सूची

मंडल/ब्लॉक/जिला स्तर पर एकत्र की जाए और राज्य स्तर पर उनकी समय–समय पर मॉनिटरिंग तथा समीक्षा की जाए। सोलिसिटर जनरल ने कहा कि यौन शोषण के लिए बच्चों की ट्रैफिकिंग या बाल मजदूर या बाल भिखारी या स्ट्रीट वेंडर के रूप में संदिग्ध बच्चों की सूची केस रजिस्टर करने के लिए निकटतम पुलिस स्टेशन को दी जानी चाहिए ताकि उनकी खोजबीन की जाए और उन्हें वापिस उनके परिवारों को सौंपा जाए। सीमा पार से ट्रैफिकिंग द्वारा भारत में लाए जाने वाले बच्चों की समस्याओं के बारे में कार्ययोजना में कहा गया है कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ौसी देशों के बच्चों की ट्रैफिकिंग की जा रही है या वे बाल मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। बाल कल्याण समितियों के जरिए देखभाल के लिए उन्हें पहले बालगृह में भेजा जाए और उन्हें स्वदेश भेजने के इंतजाम के लिए संबंधित देश के दूतावास को सूचित किया जाए।

इससे पहले एक रिपोर्ट में सोलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि प्रतिदिन लगभग 200 लड़कियां और महिलाएं वैश्यावृत्ति के धंधे में शामिल होती हैं, जिनमें 20 प्रतिषत की उम्र 15 साल से भी कम है। सीमा–पार से ट्रैफिकिंग के बारे में किए गए एक शोध के अनुसार प्रतिवर्ष 5,000–7,000 नेपाली लड़कियों की ट्रैफिकिंग की जाती है।

टाइम्य ऑफ इंडिया से साभार

खाप पंचायतें : खतरनाक मोड़ पर

अजय गौतम

पिछले कुछ समय से खाप पंचायतें सिर्फ दो वजहों से चर्चा में आई हैं। या तो किसी मुद्दे पर धरना या रास्ता जाम करने के लिए या फिर किसी प्रेमी जोड़े को सजा सुनाने के लिए। इधर वे फिर ऐसे ही कुछ कारणों से चर्चा में हैं। कुरुक्षेत्र में विभिन्न जातीय खापों ने एक स्वर में मनोज–बबली हत्याकांड के दोषियों से हमदर्दी जताते हुए अदालती फैसले की न केवल निंदा की है, बल्कि फांसी की सजा पाए लोगों का केस लड़ने के लिए हर घर से दस–दस रुपए जुटाकर हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है। इसके अलावा उन्होंने एक ही गोत्र में ष्षादी पर पाबंदी लगाने के लिए हिंदु मैरिज एक्ट 1955 में संशोधन करने की भी मांग की है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए हरियाणा की सभी खापें राज्य में प्रस्तावित पंचायत चुनावों के बहिष्कार का भी मन बना रही हैं। खुद को सामाजिक–सांस्कृतिक परंपराओं का प्रहरी मानने वाली ये खाप पंचायतें समानांतर न्यायायिक प्रक्रिया चलाने की कोषिष में हैं।

ऋग्वेद में उल्लेख

सबसे पहले खापों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उस समय एक विशेष गोत्र के लोग मिलकर अपना एक चौधरी चुन लिया करते थे। एक खाप कई गांवों को मिलाकर बनती है और विभिन्न खापों को मिलाकर एक सर्वखाप बनती है। खाप के मुखिया का चयन चुनाव की बजाय वंषानुगत आधार पर होता है। यानी कि एक ही परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी खाप के मुखिया बनते हैं। जातीय खापों का उद्‌भव भी बहुत पुराना है। मुगलों के शासन में खापों का प्रभाव इसीलिए बढ़ा क्योंकि अर्थाभाव, आवागमन के साधनों की कमी और जागरूकता के अभाव के कारण गांव–समाज का हर व्यक्ति न्याय के लिए राजा के दरवाजे तक दौड़ नहीं लगा सकता था। अपने ही झगड़ों में व्यस्त उस समय के राजा–महाराजाओं ने गांव–गांव से आने वाले नित्य प्रति के विवादों को निपटाने का अधिकार जातीय खापों को सौंप दिया। दिल्ली के तख्त पर बैठे शहंशाहों ने इस पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगाई।यदि आज की परिभाषा में कहा जाए तो खाप–पंचायतों को 'न्याय आपके द्वार' के रूप में लिया जा सकता है।

अंग्रेजों से सहयोग

अंग्रेजी शासनकाल में भी यही व्यवस्था रही। अंग्रेजों ने भारत पर

शासन करने की नीति के अंतर्गत खाप मुखियाओं की पीठ पर अपना हाथ रखा। प्रथम तथा द्वितीय महायुद्ध में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पष्चिमी उत्तर प्रदेष के गांवों में फौज में भर्ती के मामलों में अधिकांश खाप मुखियाओं ने सक्रिय योगदान दिया। गांवों में अनाज तथा दूसरी वस्तुएं सौगात के रूप में अंग्रजों को मिलीं। इसके बदले उन शासकों ने खाप और उसके मुखियाओं को जमीन–जागीरों से नवाजा। जिलों के डिप्टी कमिश्नरों के यहां और तहसीलों में अधिकांष खापों के मुखियाओं की खास खातिर होने लगी। इन संपर्कों के जरिए गांवों से स्वतंत्रता सेनानियों की गतिविधियों की सूचनाएं भी विदेशी शासन तक आसानी से पहुंचने लगीं। इस तरह ज्यादातर खाप अंग्रेजों की दास ही बनी रहीं। हालांकि कुछ ने स्वाधीनता आंदोलन में शामिल नेताओं को भी सहयोग दिया।

उस समय पेशावर से लेकर दिल्ली तक पंजाब था। पंजाब के क्षेत्र में मिसलों और आज के हरियाणा क्षेत्र में स्थित जातीय खापों विशेष रूप से जाट खापों ने सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। यही स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में रही। यहीं से खापों ने अपने सामाजिक दायित्त्व के अपनी राजनैतिक शक्ति को भी पहचाना। 1967 के बाद जब भारतीय चुनावों पर जातीय रंग चढ़ने लगा, राजनीतिज्ञों ने खापों की ताकत को पहचाना और पाया कि खापों के चबूतरे पर हुक्का गुड़गुड़ाते मुखिया जो फैसला करते हैं उस पर एक नहीं बल्कि उनके अधीन 12 से लेकर 36 गांव तक अमल करते हैं। लोटे में नमक डाल कर कसम खाना बहुत बड़ी बात मानी जाने लगी। राजनेताओं ने जमकर इसका लाभ उठाना शुरू कर दिया। यहीं से खापें अपना सामाजिक दायित्त्व भूल कर सियासी भूमिका निभाने लगीं। राजनेताओं ने भी खाप मुखियाओं को पुरस्कृत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब उन्होंने हाथ काट दो, गला रेत दो, गांव से निकाल दो, पत्नी को बहन मान लो जैसे मध्ययुगीन फैसले दिए, राजनैतिक नेतृत्त्व ने मौन रहना बेहतर समझा। इससे खापों का फैसला बढ़ा। इन दिनों खापों में जो हो रहा है, यह उसी का परिणाम है।

वोट की राजनीति

वोट की राजनीति के अंतर्गत खापों का खूब दोहन किया गया है। हरियाणा में सोनीपत, रोहतक, हिसार, भिवानी और जींद ऐसे जिले हैं, जहां खापों का सबसे अधिक प्रभाव है। इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत आदि में खाप प्रभाव है। वेस्टर्न यूपी में जाटों की प्राचीन खाप इस इक्कीसवीं सदी में भी सामाजिक–राजनीतिक सत्ता का केंद्र बनी हुई है। इसकी मिसाल 84 गांवों वाली बालियान खाप के प्रमुख महेंद्र सिंह टिकैत के रूप में देखी जा सकती है, जिन्होंने एक समय बहुत बड़ा किसान आंदोलन चलाकर सत्ता को हिलाकर रख दिया था। हरियाणा में महम चौबीसी भी इसी तरह की प्रभावशाली खाप के जरिए अपनी ताकत और हैसियत का अहसास करवाने की कोशिश की है तो वह है जाट समाज। इस इलाके के सियासी स्वरूप पर नजर डालें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की राजनीति में भी जाटों का ही वर्चस्व रहा है। यानी खाप और उसके पीछे खड़ा जनमानस वोट में तब्दील होकर सत्ताओं में भागीदारी करता आया है।

लेकिन इन खापों की समानांतर अदालतें और उनके मध्ययुगीन फैसले आज इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी के बल पर आगे बढ़ती दुनिया को मंजूर नहीं है। साफ बात है कि अगर राजनेता इन जातीय खापों को अपने वोटों की पेटी मानना छोड़ दें तो मामला पटरी पर आ सकता है। पानी सिर से निकलने को है। तत्काल कोई गंभीर कदम उठाने की जरूरत है।

नवभारत टाइम्स से साभार

अजनबी मंजूर, सगोत्र रहें दूर

खाप पंचायतें सरकार से मांग कर रही हैं कि एक ही गोत्र में शादी पर पाबंदी लगाने के लिए वह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में संशोधन करे। गोत्र मूलतः संस्कृत का शब्द है, लेकिन इसके विकास का सामाजिक आधार क्या है, यह बहुत साफ नहीं है। गोत्र एक तरह की पुरुष आधारित वंश परंपरा और शिष्य परंपरा का घालमेल है। राजा रघु के शासनकाल तक उनके गुरु वशिष्ठ के नाम पर उनके गोत्र का नाम चलता रहा, लेकिन बाद में वे सूर्यवंशी या रघुवंशी कहलाने लगे।

प्राचीन काल में किसी वृहद संयुक्त परिवार, वंश परंपरा या कुनबे में जो पुरुष मुखिया होता था, उसके नाम पर उस कुल का नाम पड़ जाता था, जिसे गोत्र मानते थे। आगे चलकर उस वंश परंपरा से जन्म लेने वाली पीढ़ी को उसी गोत्र में माना जाता है। लेकिन अनेक मामलों में वैदिक परंपरा का अनुपालन करने वाले साधुओं या ऋषि के नाम पर गोत्र का नाम रखा गया है जैसे अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि, कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य और भृगु जो मुख्यतः ब्राह्मण थे। इन सभी ऋषियों के विवाह या वंश परंपरा के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। इससे लगता है कि उस काल में शायद गुरु के नाम से भी गोत्र बने हों। कुछ ऋषियों के आश्रम से शिक्षित होकर निकलने वाले शिष्यों को भी उन ऋषियों के नाम पर एक गोत्र मान लिया होगा।

पहले आश्रमों में बड़ी संख्या में गायें पाली जाती थीं। किसी ऋषि के पास कितना गोधन है, इससे उसका रुतबा तय होता था। गोत्र का संबंध इस गोधन से भी हो सकता है। संस्कृत के पराभव के बाद अपभ्रंष और पाली में 'गोठ' शब्द मिलता है। इसका मतलब होता था गांव या पुरवा जहां अनेक परिवार एक साथ रहते थे। इन गांवों या गोठ से जुड़े लोगों या वहां से माइग्रेट करने वाले परिवारों के लिए भी गोत्र की अवधारणा प्रयुक्त हुई है। बाद में उनके वंशज उस स्थान के नाम वाले गोत्र से संबंधित माने गए। कालांतर में क्षत्रियों में योद्धा या शासक तथा वैश्यों में प्रसिद्ध व्यापारी के नाम पर गोत्र का नाम दे दिया गया। अब समुदाय, जाति या कुल के अनुसार गोत्र माने जाते हैं। लेकिन एक ही गोत्र के लोग अलग–अलग जातियों में भी मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि गोत्र के आधार पर कुल तय नहीं होता। स्वयंवर प्रथा में नारी को अपना वर चुनने की पूरी छूट मिलती थी और वे अपनी शर्तों के अनुसार ही विवाह करती थीं। आदर्श नारी की प्रतीक सीता, सावित्री और द्रौपदी आदि ने भी इसी पद्धति से जीवनसाथी का चुनाव किया। उनके विवाह से संबंधित जो साहित्य उपलब्ध है, उसमें गोत्र के विचार का कोई उल्लेख नहीं है।

हिंदु मैरिज एक्ट 1955 के सेक्षन 5 में लिखा है कि उसी स्त्री से विवाह न्याय संगत है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, उसे बच्चे पालने में कोई कठिनाई न हो, उम्र 18 साल से ज्यादा हो और पति के साथ खून का रिश्ता न हो। यह खून का रिश्ता माता और पिता की ओर की तीन–चार पीढ़ियों तक सीमित रखा गया है।

जीन वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि बहुत नजदीकी रिश्ते में शादी से जेनेटिक बीमारियों के मजबूत होने की संभावना रहती है। इसकी जगह अलग–अलग नस्लों वाली शादियां स्वस्थ भ्रूण को जन्म देती हैं। लेकिन हिंदुओं में तो जाति के बाहर शादी करना बिल्कुल मान्य नहीं है। आज कुछ लोग उदार होने लगे हों वह अलग बात है। उत्तर भारत में समगोत्रीय लड़के–लड़की भाई–बहन होते हैं, इसीलिए उन्हें पति–पत्नी के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। लेकिन नई पीढ़ी कहती है कि इसके पीछे कोई बायलॉजिकल तर्क नहीं है। वैज्ञानिक खून के रिश्ते की बात करते हैं, गोत्र की नहीं। गोत्र का आधार सिर्फ रक्त संबंध नहीं है। विंध्याचल से नीचे के भारत में समगोत्रीय विवाह सदियों से उतने ही मान्य हैं, जितने उत्तर भारत की हिंदी पट्टी में समगोत्रीय विवाह निषेध। दक्षिण भारत में बहन अपने भाई की बेटी से अपने बेटे को ब्याह लाती है। यह वहां मान्य परंपरा है। यदि किसी ऐसे संशोधन पर विचार हुआ तो दक्षिण में रेड्डी, खम्मा, गौड़ा और हेगड़े इसके विरोध में उसी प्रकार खड़े हो जाएंगे जैसे उत्तर पश्चिमी भारत की खापें खड़ी हुई हैं।

नवभारत टाइम्स से साभार

राज्य समाचार

झारखंड : मई–जून में पंचायत चुनाव

झारखंड में यथाशीघ्र चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने झारखंड पंचायत राज अधिनियम (जेपीए) 2001 में संशोधन की एक रूपरेखा तैयार करके मंत्रिमंडल को भेजी है। इससे राज्य में मई–जून 2010 में पंचायती राज चुनाव होने की संभावना है। झारखंड देश का एकमात्र राज्य है, जहां कानूनी

विवाद के कारण स्थानीय निकायों के चुनाव अब तक नहीं हुए हैं। पंचायती राज विभागों के सूत्रों ने बताया कि जिन चार संषोधनों का प्रस्ताव किया गया है, वे हैं – महिलाओं के लिए 50 प्रतिषत आरक्षण, चुनाव के निरीक्षण संबंधी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड राज्य चुनाव आयोग को अधिकार देना, जेपीए में शामिल किसी शब्दावली की परिभाषा एवं अर्थ के बारे में कोई विवाद होने पर जन–प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 को रेफर करना और केंद्र सरकार के पंचायत (एक्सटेंषन टू षेडयूल्ड एरियाज़) अधिनियम(पेसा), 1996 के प्रावधानों के अनुसार त्रिस्तरीय व्यवस्था के उपाध्यक्ष पद को अनारक्षित करना। अधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार चुनाव कराने के लिए ये संशोधन जरूरी हैं। विभागीय सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल द्वारा इन संशोधन को शीघ्र ही मंजूरी देने की आषा है।

पं.रा.अ.से साभार

राजस्थान पारदर्शिता की शपथ

राजस्थान के हाल के पंचायत चुनावों में निर्वाचित कुछ ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने गोपनीयता के बजाए पारदर्शिता की शपथ लेने का फैसला किया है। उन्होंने यथासंभव सबसे अधिक पारदर्शी तरीके से अपनी परिसंपत्तियों एवं कार्यों का खुलासा करने का संकल्प भी लिया है। आठ जिलों के लगभग दो दर्जन सरपंचों की हाल ही में जयपुर में एक बैठक हुई, जिसमें उन्होंने अपने स्वयं और राज्य सरकार के लिए एक अजेंडा तय किया। उन्होंने विभिन्न नियमों और दिशा निर्देशों के अंतर्गत एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया है कि उनकी योजनाएं क्या–क्या हैं और राज्य सरकार क्या–क्या करें। उन्होंने पिछले एक साल के दौरान के कामों के लिए कम से कम एक सामाजिक अंकेक्षण, आर टी आई नियमों के पालन और सचिवों की भूमिकाओं की स्पष्टता, रोजगार योजना के अंतर्गत ठेकों और मषीनों के इस्तेमाल पर पूरी रोक पर जोर दिया।

मजदूर किसान षक्ति संगठन के निखिल डे बताते हैं – 'आम तौर पर गोपनीयता की शपथ ली जाती है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक और सीमित संसाधनों के बूते निर्वाचित होने वाले इन लोगों ने कुछ और ही फैसला लिया है। हर कोई जानता है कि सरपंच बनना और ईमानदार रहना कितना अधिक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उनमें से प्रत्येक को नरेगा के अंतर्गत सालाना एक करोड़ का फंड मिलता है।' ये सरपंच पंचायतों के सचिवों को जमा राशि, देय राशि, किए गए कार्यों, बकाया कार्यों आदि के बारे में स्थिति रिपोर्ट देने के लिए पहले ही पत्र लिख चुके हैं। अब तक यह रिपोर्ट नहीं दी गई है। भीलवाड़ा के असिंद ब्लॉक की रूपपुरा पंचायत के सरपंच सुरेष बताते हैं – 'कई बार हमें उन योजनाओं या पद्धतियों के अंतर्गत हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, जिनके हम विरोधी हैं। मैंने नरेगा के अंतर्गत साज–सामग्री की खरीद का विरोध किया था और अब मुझे 42 लाख रुपए के भुगतान पर हस्ताक्षर करने पड़ रहे हैं।'

पंचायती राज अपडेट से साभार

राष्ट्रीय समाचार

ग्राम अदालतों का शीघ्र गठन

आम आदमी को त्वरित न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने राज्य सरकारों से जल्दी से जल्दी ग्राम अदालतें स्थापित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित कर चुकी है। अगर राज्य सरकारें इसे अमल में लाएं तो पूरे देश में पंचायत स्तर पर 5,000 से ज्यादा अदालतें पूरी तस्वीर बदल सकेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी अदालतों में ढाई करोड़ मुकदमें लंबित होने पर चिंता जताते हुए शीघ्र न्याय की जरूरत बताई।

गत 27 मार्च को 'कानून, न्याय और आम आदमी' विषय पर कांग्रेस की ओर से आयोजित सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देते हुए प्रधानमंत्री का जोर न्यायायिक सुधारों और

अदालतों से मुकदमों का बोझ घटाने पर रहा। इसी कड़ी में उन्होंने सीबीआई की 71 विशेष अदालतें गठित करने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये अदालतें सामान्य अदालतों की तुलना में मुकदमों का निस्तारण तेजी से कर रही हैं। प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा जोर ग्राम अदालतों की स्थापना पर था। प्रधानमंत्री ने शिकायती लहजे में कहा कि देश की न्यायिक प्रणाली का लोहा पूरी दुनिया मानती है, लेकिन करोड़ों मुकदमों का लंबित होना उस पर एक दाग है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि न्याय प्रभावी और दृढ़ होना चाहिए। संप्रग सरकार के पहले कार्यकाल की ही तरह दूसरे कार्यकाल में भी सुधारात्मक कदमों की बात करते हुए सोनिया गांधी ने सूचना के अधिकार, नरेगा और महिला आरक्षण विधेयक का जिक्र किया। उन्होंने न्यायिक सुधारों की प्रक्रिया तेज करने और उसे आम आदमी के लिए ज्यादा प्रभावी बनाने पर जोर दिया।

पंचायत स्तर पर सूचना प्रणाली

केंद्र सरकार अब पंचायत स्तर पर आंकड़े एकत्र करने के लिए आधुनिक सूचना प्रणाली स्थापित करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने भारतीय सांख्यिकीय प्रोजेक्ट (आईएसएसपी) को मंजूरी दे दी है। आईएसएसपी के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में राज्य और केंद्र सरकार के कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी हासिल की जाएगी। इससे विकास के लिए अल्प और दीर्घकालीन योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय सांख्यिकीय व कार्यक्रम कार्यान्वय राज्य मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल के अनुसार इस परियोजना की 80 प्रतिशत राशि विश्व बैंक देगा। बाकी 20 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार खर्च करेगी। केंद्र सरकार को करीब 650. 43 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। प्रदेश सरकार और केंद्र शसित – राज्यों की भागीदारी सुनिश्चत करने के लिए परियोजना के कुछ कार्यों में नाममात्र की सहयोग राशि का प्रावधान रखा गया है। श्रीप्रकाश जायसवाल ने कहा कि परियोजना के माध्यम से निम्नतम स्तर से इकट्ठे किए जाने वाले आंकड़े राज्य सरकार और केंद्र को जल्द उपलब्ध होंगे। इससे उन कारणों का भी पता चल सकेगा, जिससे इन परियोजना में देरी हो रही है।

पंचायती राज अपडेट से साभार

योजना के लिए ग्रामसभा की मंजूरी जरूरी

अब देश की सभी ग्राम पंचायतों को किसी भी सामाजिक और आर्थिक योजना को लागू करने के लिए ग्राम सभा से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। अगर पंचायत ऐसा नहीं करती तो विकास का कोई भी काम करने में उसे परेशानी होगी। पंचायती राज मंत्रालय ने इस आशय का एक निर्देश सभी राज्यों को जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण अधिनियम (मनरेगा) को ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू करना है, इसीलिए ग्राम सभा जितनी सक्रिय होगी, योजना को लागू करने में उसे उतनी ही मदद मिलेगी। मंत्रालय ने यह भी कहा है चूंकि ग्राम सभा स्वशासन, पारदर्शिता और जवाबदेह कार्यप्रणाली के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण इकाई है, इसीलिए यह काम वहीं से शुरू होना चाहिए।

मंत्रालय ने राज्यों को लिखा है कि 11वीं अनुसूची की धारा 243 (जी) के अनुसार ग्राम पंचायत को यह अधिकार है कि वह सामाजिक और आर्थिक मसले से जुड़े मामले पर खुद निर्णय ले और इसे लागू कराएं। पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों को लिखा है कि हर पंचायत को विकास के काम में स्पष्ट रूप से फैसला लेने का अधिकार है। इसीलिए सोशल ऑडिट को वार्षिक आयोजन नहीं बनाना चाहिए, बल्कि यह सभी कामों में होना चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि अगर कानून के अनुसार काम होता है तो ग्राम पंचायत को तीन लाभ हो सकते हैं। पहला, होने वाले काम का ठीक से प्रचार–प्रसार होगा। दूसरा, संगठनात्मक ढांचा तैयार होगा और तीसरा, मनरेगा के लिए अनिवार्य रूप से होने वाली सोषल ऑडिट की पृष्ठभूमि तय हो जाएगी।

पंचायती राज अपडेट से साभार

आई.एस.एस.टी., अपर ग्राउंड फ्लोर, कोर 6–ए, इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–3 द्वारा प्रकाशित।
संयोजन : मंजुश्री मिश्र। साज–सज्जा : मो. नसीम आरिफ । ई–मेल : isstdel@isst-india.org
वेबसाइट : www.isst-india.org फोन : 91-11-47682222

उमा प्रचार

वर्ष 14, अंक 50

जुलाई से सितंबर 2010

ग्राम सभा का महत्त्व
कमला बाई यादव

छलांग से आगे
मृणाल वल्लरी

पंचायत समाचार

केवल निजी वितरण के लिए।

यह अंक

ग्रामसभा यानि गांव की सभा। पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम सभा को सबसे महत्त्वपूर्ण अंग माना गया है। ग्राम सभाएं पंचायतों का आधार स्तंभ हैं। ग्राम सभा सक्रिय और सजीव हों तो ग्राम पंचायतें अत्यंत कुशलता के साथ काम कर सकती हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामसभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया और प्रावधान किया गया कि प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी, जिसमें सभी वयस्क ग्रामवासी शामिल होंगे तथा पंचायत उनके प्रति उत्तरदायी होगी। ग्राम सभा की बैठक में कोरम की पूर्ति के लिए कुल सदस्यों का दशमांश जरूरी है, जिसमें एक तिहाई महिलाओं की उपस्थिति होनी चाहिए। सरकार द्वारा बैठकों की तिथियां भी निश्चित की गई हैं।

संविधान की ये सारी बातें संविधान को ही सुशोभित कर रही हैं। पंचायती राज में सबसे सशक्त इकाई के रूप में माने जाने वाली ग्राम सभा व्यवहार में सबसे कमजोर साबित हुई है।

इस अंक में प्रस्तुत है – ग्राम सभा के महत्त्व पर कमला बाई यादव का लेख।

इसके साथ ही पंचायत संबंधी कुछ अन्य जानकारियां भी मिलेंगी।

ग्रामसभा का महत्त्व

कमला बाई यादव

पंचायती राज व्यवस्था की व्यावहारिक सफलता ग्रामसभा की सक्रियता और सकारात्मक भूमिका पर ही निर्भर करती है। हालांकि उसके सामने चुनौतियां लगभग वही हैं जिनके कारण आधार भूमि पर लोकतंत्र की सफलता अब भी संदिग्ध बनी हुई है। स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास की प्राथमिकताओं का निर्धारण पंचायती राज को नई गति और दिशा दिखा सकता है। राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की बाड़ेबंदी से पंचायती राज को मुक्त करवाने का एक ही रास्ता और उपाय है कि ग्राम स्तर पर समस्त ग्रामीण साल में कम से कम दो बार एकत्र हों और पंचायत के किए जा रहे काम और विकास योजनाओं पर ग्राम हित को सर्वोपरि रखते हुए चिंतन मंथन करें।

73वें संविधान संशोधन के भाग–नौ में जोड़े गए अनुच्छेद 343 ए के अनुसार ग्रामसभा गांव के स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों का निकाय है। अनुच्छेद 243 ए के प्रावधानों के अनुसार ग्रामसभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों का निर्वाह कर सकेगी जो राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियम बनाकर प्रस्तावित किए जाएं। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि पंचायत ग्रामसभा के प्रति उसी प्रकार उत्तरदायी होंगी, जैसे कि राज्य सरकार विधानसभा के प्रति।

निश्चय ही ग्रामसभाएं संवैधानिक दर्जा प्राप्त संस्था बन गई हैं, जिन्हें भौगोलिक परिधि, स्वास्थ्य, जल और निर्माण संबंधी उनतीस सरकारी विषयों पर अधिकार भी मिल गए। ग्रामसभा के अधिकारों में प्रति छह महीने में पंचायतों द्वारा किए गए कामों का ब्यौरा प्राप्त करना, योजनाएं स्वीकृत करना, बजट स्वीकार करना प्रमुख है। पंचायतों को ग्रामसभा के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। नए पंचायती राज अधिनियम से पहले 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम की देख–रेख और संचालन में ग्रामसभा की सार्थक भूमिका को महत्त्व दिया गया था। लेकिन 1953 से 1959 तक ग्राम पंचायतों के साथ–साथ ग्रामसभाओं की भूमिका भी नगण्य ही बनी रही। इसका एक प्रमुख कारण ग्रामसभाओं के साथ प्रशासनिक और शासकीय शक्तियों का न होना माना गया है।

राजस्थान में तेरह साल बाद पंचायतों के चुनाव करवाए गए, जिसमें ग्रामसभाओं को प्रशासनिक शक्तियां दी गईं। अंत्योदय योजना के अंतर्गत ग्रामसभाओं को सर्वाधिक निर्धन व्यक्ति की खोज का काम सौंपा गया। प्रदेश में सर्वत्र ग्रामसभाओं का आयोजन किया गया। ग्रामीण जन एकत्र हों इसके लिए ढोल और थाली बजाई गई। सरकारी अधिकारियों को भी वहां उपस्थित होकर ग्रामसभा के निर्णयों को प्रतिवेदन रूप में प्रस्तुत करने का दायित्त्व सौंपा गया। लेकिन व्यावहारिक स्तर पर यह देखा गया कि सरपंच और ग्राम पंचायत प्रशासन, ग्राम सभा की बैठक की व्यवस्था करने में पर्याप्त रुचि नहीं दिखाते। इसीलिए ग्रामसभाओं की बैठकें केवल औपचारिक ही रहीं।

ग्रामसभाओं की प्रभावहीन, निष्क्रिय और कागजी भूमिका पर गंभीर बहस की आवश्यकता है। पंचायतें विकास योजनाओं को जन–जन तक पहुंचाने का मंच बनें और उनमें पारदर्शिता और ईमानदारी से काम हो, इसके लिए ग्रामसभाओं के कामों का अंकेक्षण होना अत्यंत जरूरी है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम पूरे देश में लागू होने के बाद मनरेगा में भ्रष्टाचार की गूंज सुनी जा रही है। इसे रोकने के लिए हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जागरूक मतदाताओं की एक ऐसी टोली या समूह की आवश्यकता है जो पंचायत व सरपंच के किए काम का निरीक्षण और मार्गदर्शन कर विकास को ग्रामोन्मुखी बनाए।

अगर कानून का पालन किया जाए तो ग्रामसभाओं में दस प्रतिशत मतदाताओं की उपस्थिति अनिवार्य की गई है लेकिन कोरम का पूरा न होना आमतौर पर देखा जा सकता है। पंचायती राज में ग्रामसभा की परिकल्पना सबसे सशक्त इकाई के रूप में की गई है लेकिन व्यवहार में यह अब तक की सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में सामंतशाही व दबंग लोगों का वर्चस्व रहता है, ऐसे ही व्यक्ति आमतौर पर रास्तों, चरागाहों, तालाबों का अतिक्रमण करते हैं। ग्रामसभाओं में सभी वर्ग की महिलाओं, दलितों की उपस्थिति नगण्य रहती है।

ऐसे नकारात्मक माहौल में ग्रामसभा को सशक्त बनाने के लिए कम से कम पांच दिन लगातार ग्रामसभा की बैठक किए जाने की ढोल पीटकर सूचना दिया जाना और पंचायत क्षेत्र के शिक्षकों का ग्रामसभा की बैठक में भाग लिया जाना सरपंच की जिम्मेदारी में अनिवार्य किया जाए। महिलाओं की उपस्थिति निश्चित करने के लिए हर शिक्षक पांच

महिलाओं को ग्रामसभा की भागीदारी की प्रेरणा दें और इसी दिशा में जिला प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश दिया जाना भी उपयोगी होगा। वस्तुतः ग्रामसभा की सशक्त भूमिका से ही पंचायती राज की सफलता निश्चित हो पाएगी और ग्राम स्तर पर उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी। ग्रामसभा पंचायती राज के प्रभावी और सफल संचालन की कुंजी है। ग्रामसभा की सक्रियता से आधारभूमि पर लोकतंत्र परिपक्व हो पाएगा।

जनसत्ता से साभार

पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ने से सामाजिक और आर्थिक विकास को बल

इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा 24 अप्रैल 2010 को विश्व युवक केंद्र में महिला राजनीतिक सशक्तीकरण दिवस समारोह का आयोजन किया गया। देश भर से आईं 700 से अधिक महिला पंचायत प्रतिनिधियों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। इस दो दिवसीय समारोह का उद्घाटन करते हुए श्रीमती गुरशरण कौर ने कहा कि महिलाओं के योगदान के बिना समाज का सर्वांगीण विकास अधूरा रहेगा। इसीलिए पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में जब महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ेगी तो देश में सामाजिक और आर्थिक विकास का सही ढंग से सूत्रपात होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर हिंसा रोकने में पंचायतें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। समाज में फैली विभिन्न बुराइयां और अत्याचार रोकने के लिए हमें सदियों से चली आ रही अपनी सोच बदलनी होगी। जरूरत इस बात की है कि स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधि एकजुट हों और विकास प्रक्रिया में सक्रिय हिस्सा लें। कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, बाल–विवाह, सती प्रथा, नशाखोरी और अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उन्हें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी।

श्रीमती कौर ने बिहार की गया जिला परिषद् की अध्यक्ष श्रीमती शोभा सिन्हा, उत्तराखंड की मीठीबैरी ग्राम पंचायत की प्रधान श्रीमती राधा देवी और उत्तर प्रदेश की चित्रकूट जिले की गिदुर्हा ग्राम पंचायत की प्रधान सुश्री संजो कोल को विशिष्ट महिला पंचायत प्रतिनिधि पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसके पहले इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ. जार्ज मैथ्यू ने समारोह में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों और अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि नवीन पंचायती राज कानून ने विकास के लिए नए अवसर उपलब्ध कराए हैं और हम देश में जेंडर समानता के एक नए दौर से गुजर रहे हैं।

समारोह के अध्यक्ष राजस्थान के पंचायत राज मंत्री श्री भरत सिंह ने कहा कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने से एक नए भारत का निर्माण हो रहा है और नई उम्मीदें जगी हैं। नवीन पंचायती राज और नरेगा दो ऐसे कानून हैं, जो आम जनता के सामाजिक और आर्थिक विकास में सर्वाधिक योगदान दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि 73वां संशोधन नहीं होता और महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिलता तो संभव है कि देश में गहरा सामाजिक असंतोष फैलता। महिला पंचायत प्रतिनिधियों को चाहिए कि वे महिलाओं पर होने वाली हिंसा रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं।

यूनिफेम इंडिया की क्षेत्रीय कार्यक्रम निदेशक सुश्री एनी स्टेनहैमर ने कहा कि यूनिफेम महिला सशक्तीकरण के एजेंडे का समर्थन करता है। उन्होंने आगे कहा कि महिला प्रतिनिधि इस सम्मेलन में सीखी गई बातों को अपने साथ ले जाएं और अपने क्षेत्रों में महिलाओं पर हिंसा की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाएं। गिल्ड फॉर सर्विस की अध्यक्ष डॉक्टर मोहिनी गिरि ने प्रमुख भाषण देते हुए कहा कि महिलाओं पर हिंसा रोकने के लिए पुलिस में महिलाकर्मियों की अधिक संख्या में भर्ती जरूरी है। उन्होंने ग्राम न्यायालयों के जरिए जनता को न्याय दिलाने पर अत्यधिक बल दिया। उन्होंने आगे कहा कि महिलाएं कानून के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाएं, जिससे उन्हें अपने अधिकार समझने में मदद मिलेगी और महिलाओं पर हिंसा की रोकथाम के लिए अपने प्रयासों में पुरुषों को भी शामिल करें।

दो दिन चले इस कार्यक्रम में महिलाओं पर हिंसा की रोकथाम और उसमें 'पंचायतों की भूमिका' पर चर्चा हुई। आरंभिक सत्र में महिलाओं पर हिंसा की अवधारणा, इस हिंसा के विभिन्न रूपों, घटनाओं और उनकी रोकथाम में पंचायतों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इस सत्र की अध्यक्षता पंचायती राज पर बिहार सरकार के कार्यदल के सदस्य प्रोफेसर एस. नारायण ने की।

मनरेगा, एचआईवी/एड्स और महिलाओं की ट्रैफिकिंग और महिलाओं पर हिंसा के विभिन्न पहलुओं पर अलग से सत्र

आयोजित हुए। नरेगा पर सत्र की अध्यक्षता हंगर प्रोजेक्ट की कंट्री डायरेक्टर रीता सरीन ने की, जिसमें नेशनल फेडरेशन फॉर इंडियन वीमेन की सचिव एनी राजा और सोशल डेवलपमेंट विशेषज्ञ सौम्या किदम्बी ने अपने विचार व्यक्त किए। केरल, असम और राजस्थान की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे। एनी राजा ने महिला प्रतिनिधियों से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि नरेगा के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 100 दिन का रोजगार प्राप्त हो और महिला श्रमिकों की अनदेखी न की जाए और उन्हें समय पर भुगतान मिले। एचआईवी/एड्स और महिलाओं की ट्रैफिकिंग सत्र की अध्यक्षता जुबान ट्रस्ट की एग्ज़ीक्यूटिव ट्रस्टी उर्वशी बुटालिया ने की। इसमें वंदना महाजन और डॉक्टर पी.एम. नायर ने कहा कि इन मामलों के हल के लिए व्यावहारिक कदम उठाना जरूरी है।

'महिलाओं पर हिंसा : पंचायतें क्या कर सकती हैं' विषय पर कमला भसीन ने कहा कि महिलाओं पर हिंसा का अर्थ और उसके प्रभावों को समझना जरूरी है। पितृसत्तात्मक समाज के कारण महिलाओं पर हिंसा बढ़ी है। महिला पंचायत प्रतिनिधियों को आगे बढ़कर यह हिंसा रोकनी होगी और एक न्याय संगत समाज का निर्माण करना होगा। आईपीएस अधिकारी और इंस्टीट्यूट में विज़िटिंग फेलो जॉन मित्रा की अगुवाई में महिलाओं पर हिंसा की रोकथाम पर एक विशेष सत्र हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधि क्या कदम उठा सकती हैं।

राज्य सभा सदस्य श्री मणिशंकर अय्यर ने समापन भाषण दिया। उन्होंने अधिकांश महिलाओं के सामान्य सीट पर चुनाव जीतकर आने पर खुशी व्यक्त की। जरूरतों और नीति निर्धारण के मामले में पुरुषों और महिलाओं के दृष्टिकोण में कुछ अंतर होता है। महिलाएं तेजी से बदलाव लाने में अधिक समर्थ होती हैं। उन्होंने महिलाओं से पंचायतों में अपनी भागीदारी बढ़ाने की अपील की।

पंचायती राज अपडेट से साभार

छलांग से आगे
मृणाल वल्लरी

अभी–अभी बीता साल भारतीय गणतंत्र के इतिहास में इस लिहाज से यादगार रहा क्योंकि इस साल देश की राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सत्ता पक्ष की संसदीय दल की नेता और विपक्ष की नेता के पद पर महिलाओं ने बागडोर संभाली। अब इन महिला प्रतिनिधियों को सिर्फ टोकन पद पर बैठी महिलाएं कह कर खारिज नहीं किया जा सकता। ये सभी सत्ता के गलियारों में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज करा चुकी हैं। जो सोनिया गांधी कभी नेहरू–गांधी परिवार की डमी नेता कही जाती थीं, आज भारतीय राजनीति में उनकी हैसियत किंग मेकर की है। जो महिला आरक्षण बिल कभी संसद के अंदर फाड़ दिया गया था, वह अब स्थायी समिति से पास होकर संसद में चर्चा के लिए आ गया है। इसका प्रभाव आने वाले समय में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने में होगा।

बीते साल के अंत तक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में महिलाओं के सशक्त दखल ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। महिलाओं की संसद में मौजूदगी की वजह से ही यह संभव हो सका कि महिला विरोधी फैसले का विरोध संसद के भीतर भी होने लगा।

बीते साल के अंत में रुचिका मामले में एक पूर्व डीजीपी राठौड़ को मात्र छह महीने की सजा का फैसला सबको चौंका गया। लेकिन अदालत के फैसले के साथ ही यह मामला ठंडा नहीं पड़ गया। इस मामले में शिकायत करने वाली और अपनी सहेली के लिए लंबी जंग लड़ने वाली अनुराधा प्रकाश ने अदालत के अंदर कहा – राठौर जैसे अपराधी को सजा हुई, बहुत अच्छा हुआ। हमारे संघर्ष और राठौर के अपराध का न्यायपालिका ने सही हिसाब किया, लेकिन इस अपराध को अपनी अस्मिता पर झेलने वाली रुचिका ने जान दे दी थी और उसकी कीमत मात्र छह महीने।

मैं बहुत उदास हूं। न्यायपालिका को ऐसा करार जवाब देकर एक महिला ने अपना फर्ज पूरा किया। वहीं एक दूसरी महिला विधायिका में अपना फर्ज पुरा कर रही थी। माकपा सांसद वृंदा करात ने फैसला आते ही राज्यसभा में यह मामला उठाया। उन्होंने न्यायायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए संसद में आवाज बुलंद की तो इस मामले पर उनका विरोध करने का साहस कोई नहीं कर पाया।

यह सही है कि रुचिका और अनुराधा जैसी महिलाओं को पूरा इंसाफ नहीं मिल पाया। लेकिन इनके खिलाफ महिलाओं ने आवाज बुलंद कर अपनी जमीन जिस तरह मजबूत कर ली है, उससे यह भरोसा जरूर पैदा होता है कि अब न्यायपालिका इस तरह के फैसले

नहीं दे पाएगी। सच तो यह है कि महिला सशक्तीकरण का रास्ता तब तक पूरी तरह साफ नहीं हो सकता, जब तक विधायी और न्यायिक प्रणालियों में उनकी दमदार पहुंच नहीं होगी। आज से एक दशक पहले भी महिलाएं सारे काम करती थीं। लेकिन यह पुरुषवादी समाज उन्हें एक बेगार मजदूर की तरह देखता था। एक ऐसी मजदूर जो दुनिया का हर काम तो कर सकती है, लेकिन अपने फैसले खुद नहीं ले सकती है। इसी तरह पूरे देश में भी महिलाओं की हैसियत घर जैसी ही बना दी गई थी। पुरुष वर्चस्व की अर्थव्यवस्था में बांदी जैसा वजूद लेकर घर की चारदीवारी से कार्यस्थलों के घेरे में तो महिलाएं अस्सी के दशक में पहुंच गई थीं। लेकिन फैसले लेने और लागू करने वाली संस्थाओं तक महिलाओं की पहुंच नहीं थी। इस वजह से घरों की चारदीवारी के साथ कार्यस्थलों में भी उनका शोषण शुरू हुआ। लेकिन जैसे–जैसे विधायिका और कार्यपालिका में महिलाओं का दबदबा हुआ उसका सीधा असर अर्थ और सेवा क्षेत्र में पड़ा।

शायद यह पहली बार था जब संसद में मातृत्त्व अवकाश और पालना घर का मुद्दा गूंज रहा था। टीवी पर चल रहा वह बजट सत्र ध्यान देने योग्य है जिसमें तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम साड़ियों और कॉस्मेटिक्स सस्ते होने के संबंध में घोषणा करने के पहले एक महिला सांसद की ओर देख कर बोले थे कि उनकी अगली घोषणा आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। यह एक ऐसी संसद की तस्वीर थी जो महिलाओं को सिर्फ सजने–संवरने और पहनने–ओढ़ने तक ही देख रहा था। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। महिला सांसद गहने–कपड़े नहीं सीधे न्यायपालिका में सुधार की मांग कर रही हैं। वे संसद की सामंती और पुरुषवादी वर्चस्व को तोड़ रही हैं। महिला सांसद कॉस्मेटिक्स और गहने सस्ते होने की नहीं बल्कि कार्यस्थलों पर यौन शोषण और समान वेतन की बात कर रही हैं। राष्ट्रपति भवन में देश भर से आईं उन महिला सरपंचों को पुरस्कृत किया जा रहा है जिन्होंने अपने पंचायत क्षेत्र में कई तरह की सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की।

ये महिला सरपंच अपने घर के मर्दों की छाया भर नहीं हैं। ये पंचायत स्तर पर राजनीति का ककहरा सीख संसद में स्त्री सशक्तीकरण का नया इतिहास लिखने की ओर कदम बढ़ा रही हैं।

यह तय है कि इसका असर घर में काम करनेवाली, मिल में मशीन चलानेवाली, निर्माण क्षेत्र में ईंट ढोनेवाली, सेवा क्षेत्र में काम करनेवाली, खेल के मैदानों में मेडल जीतनेवाली महिलाओं पर पड़ेगा। उम्मीद है कि बीते साल फैसले लेने वाले जिन पदों तक महिलाओं ने अपनी पहुंच बनाई है वह इस साल महिला सशक्तीकरण का नया इतिहास लिखने में कामयाब होगा। हमारे देश की संसद में ऐसे महिलाओं के हित में फैसले होंगे जो महिलाओं को हर क्षेत्र में सशक्त बनाएंगे।

जनसत्ता से साभार

2013 तक देश की सभी पंचायतों में इंटरनेट कनेक्शन

बीएसएनएल के मैनेजिंग डायरेक्टर कुलदीप गोयल ने बताया कि सन् 2013 तक देश की सभी 2.5 लाख पंचायतों के पास इंटरनेट कनेक्शन होगा। यह आप्टिक फाइबर, वायरलैस तथा वाई मैक्स तकनीक के सम्मिश्रण से प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा "हमारा मुख्य उद्देश्य वाई मैक्स व्यवस्था को लागू करना होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में 7 एमबीपीएस की दर प्राप्त की जा सकेगी।"

पंचायत राज अपडेट से साभार

राज्य समाचार

गुजरात : अनिवार्य मतदान संबंधी विधेयक लौटाया

गुजरात की राज्यपाल कमला बेनिवाल ने गुजरात विधान सभा द्वारा पारित उस विधेयक को लौटा दिया, जिसमें स्थानीय स्वशासी संस्थाओं(नगर निगम, नगरपालिका और पंचायत)में सभी पंजीकृत मतदाताओं के लिए वोट डालना अनिवार्य बना दिया गया है। विधान सभा ने यह विधेयक दिसंबर 2009 में पारित किया था। इस विधेयक को लेकर देश भर में इसके पक्ष और विपक्ष में जोरदार बहस छिड़ गई थी।

विधानसभा सचिवालय के सूत्रों से पता चला कि राज्यपाल ने विधेयक लौटाते हुए दो प्रमुख आपत्तियां बताई हैं। एक प्रमुख आपत्ति यह है कि इस विधेयक से संविधान का उल्लंघन होता है। संविधान का प्रावधान मतदान को अनिवार्य बनाने की इजाजत नहीं देता है और किसी मतदाता द्वारा वोट नहीं डालने पर उसे कोई दंड नहीं दिया जा सकता है।

राज्यपाल ने यह भी कहा कि अनिवार्य मतदान संबंधी विधेयक को स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने से संबंधित विधेयक को अलग किया जाए।

गुजरात सरकार ने दो विधेयकों को एक साथ जोड़ दिया था, जिससे विपक्षी दल कांग्रेस के सामने दुविधा पैदा हो गई थी, क्योंकि वह महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में और अनिवार्य मतदान विधेयक के खिलाफ थी। राज्य विधान सभा ने 19 दिसंबर 2009 को गुजरात स्थानीय प्राधिकरण कानून (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया था। इसमें स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में महिला आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया।

अनिवार्य मतदान विधेयक के अनुसार यदि कोई मतदाता निर्धारित नियमों के अलावा अन्य कारणों से मतदान नहीं करता है तो उसे डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है और परिणाम भुगतने के लिए उसे तैयार रहना होगा। इस संबंध में बाद में नियम बनाए जाएंगे और उन्हें विधानसभा में मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

पीटीआई से साभार

जम्मू और कश्मीर : ग्राम पंचायत चुनाव सितंबर में

राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य में पंचायत चुनाव सितंबर–अक्टूबर, 2010 में करवाने के सरकार के निर्णय की घोषणा की। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 13 मई को आयोजित 5,000 लोगों की एक बैठक को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला ने कहा, "मैं सत्ता के ग्राम स्तर तक हस्तांतरण में विश्वास करता हूं। आपको इस वर्ष सितंबर–अक्टूबर में राज्य में होने वाले विभिन्न पंचायतों के चुनाव में सक्रियता से भाग लेना चाहिए।" उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव के बाद ग्राम स्तर के सभी विकास कार्य पंचायतों द्वारा करवाए जाएंगे।

पंचायती राज अपडेट से साभार

कर्नाटक : पंचायत चुनाव

कर्नाटक में पिछली 8 तथा 12 मई को दो चरणों में कुल 5,626 ग्राम पंचायतों में से 5,476 ग्राम पंचायतों के चुनाव संपन्न हुए। इन चुनावों में 88,245 सदस्य चुने गए। जुलाई 2010 में कार्यकाल पूरा होने वाली 50 ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं करवाए गए। 17 मई को मतगणना हुई। पंचायत चुनावों के लिए आदर्श पंचायत संहिता 15 अप्रैल से 18 मई तक लागू रही। पहले चरण में 16 जिलों – बंगौर (ग्रामीण), रामनगर, चित्रदुर्गा, दावणगीर, कोलार, चिक्काबल्लारपुर, शिमोगा, तुमकुर, बीदर, बेल्लारी, गुलबर्गा, रायचूर, कोप्पल, यादगीर तथा उडुपी के दो तालुकों – 2,643 पंचायतों के चुनाव हुए। दूसरे चरण के चुनावों में मैसूर, चिकमंगलूर, दक्षिण कन्नड़, हसन, कोडागू, धारवाड़, गड़ग और उडुपी जिले के कुंडापुर तालुक के 2,833 पंचायतों में चुनाव संपन्न हुए। तटीय उडुपी जिले के चुनाव के दोनों चरणों में नक्सली हिंसा की वजह से कानून–व्यवस्था को बनाए रखने में परेशानी साबित हुई तथा चुनाव कर्मचारियों और मतदाताओं को पूरी सुरक्षा दी गई।

संविधान में स्थानीय निकायों में 33 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 37,980 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थीं। अनुसूचित जाति के लिए कुल 16,472 सीटें (7,617 महिलाओं के लिए) अनुसूचित जनजाति के लिए 9,616 सीटें (6,232 महिलाओं के लिए), पिछड़ी जाति वर्ग के लिए 5,820 सीटें (1051 महिलाओं के लिए) और सामान्य वर्ग के लिए 32,859 सीटें (12,719 महिलाओं के लिए) रखी गईं। प्रथम चरण में 80 प्रतिशत और दूसरे चरण में 71 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ। इस मतदान ने 1.15 लाख उम्मीदवारों का भविष्य तय किया, जो 40,351 पदों के लिए चुनाव लड़ रहे थे। मतदाता पत्र पर चिन्हों की छपाई में हुई त्रुटियों तथा कुछ गांवों में चुनाव बहिष्कार जैसी कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो चुनाव लगभग शांतिपूर्ण रहा।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा होने की वजह से हिंसा की कोई खबर नहीं आई। तुमकुर, चित्रदुर्ग, धारवाड़, दावणगीर, शिमोगा और कुछ अन्य जिलों में अप्रिय वारदातों की कुछ खबरें सुनाई दीं। कुछ चुनाव चिन्हों में विसंगतियों तथा मतदाता सूची से नामों के गायब होने की शिकायतें आईं। 128 पदों के लिए किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं भरा और 3,938 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। 11 जिलों के 24 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान हुआ।

चुनाव का बहिष्कार

कर्नाटक के कोल्लेगल तालुक में स्थित कर्नाटक की सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में से एक कुरूहट्टी होसुरू, ने गांव में आवश्यक सुविधाओं की कमी से क्षुब्ध होकर ग्राम पंचायतों के चुनाव के बहिष्कार का फैसला किया। इस गांव में 21 सीट तथा 13,000 मतदाता हैं। स्थानीय अधिकारियों की आशा के विपरीत किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं भरा। कुरूहट्टी होसरू ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले 11 गांवों के बीच केवल एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। इससे भी बुरी स्थिति यह

है कि पिछले आठ वर्षों से वहां कोई चिकित्सक नहीं है। यहां के लोगों को चिकित्सकीय सुविधा पाने के लिए 25 किमी. दूर कोल्लेगल जाना पड़ता है। तीन गांवों में सड़कें नहीं हैं। बच्चों को पैदल या बैलगाड़ी से स्कूल जाना पड़ता है। डेंगू, मलेरिया तथा वायरल के अलावा यहां पानी से होने वाली बीमारियां आम हैं। ग्रामीण इस बात से नाराज हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत उनके विकास के लिए कोष आवंटित होने के बावजूद उसका इस्तेमाल जीवन की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने में नहीं किया जाता है। ग्राम पंचायत के पूर्व सदस्य शिवन्ना के अनुसार उद्योग खत्री योजना के अंतर्गत जारी 2.5 करोड़ रुपए के कोष से गांव में कोई विकास नहीं हुआ। उन्होंने आगे बताया कि कोल्लेगल विधायक नन्जुन्दास्वामी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। एक अन्य पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य ने कहा, "जब तक गांवों में जीवन स्तर सुधारने के लिए कुछ नहीं किया जाता, हममें से कोई भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है।"

पं.रा.अ.से साभार

ग्राम सेवक : भारी बोझ

अभी तक यही सुनने में आया है कि शिक्षकों पर ही बच्चों को पढ़ाने के साथ–साथ कई सरकारी कामों का भार है, लेकिन बदलती तस्वीर में ग्राम सेवकों पर कहीं ज्यादा बोझ है। वे पंचायती राज व्यवस्था की धुरी बन गए हैं, उनके कंधों पर 62 कार्य हैं। अब तो हालात यह हो गए हैं कि गांव को टैंकरों से पानी पिलाना हो तो भी उनकी ही ड्यूटी लगेगी। आजकल राशन बंटवाने में भी उनकी भूमिका है। नरेगा का काम तो स्थायी है ही, दूसरे कामों की प्राथमिकता बदलती रहती है या नए काम जुड़ते जाते हैं। ग्राम सेवकों ने अपनी पीड़ा और मांगों को लेकर सरकार का दरवाजा खटखटाया है। उनका कहना है कि उनके कंधे नरेगा का बोझा सहने लायक नहीं हैं, पंचायतों में तकनीकी कर्मचारियों से लेकर दूसरे स्टाफ का टोटा है। करीब 700 पंचायतों में ग्राम सेवक के पद खाली चल रहे हैं। लगभग 1000 ग्राम रोजगार सहायकों के पद खाली हैं।

साभार : सत्य नारायण खंडेलवाल, रा. पत्रिका, 28 मई 2010

उत्तर प्रदेश : वर्तमान और पूर्व प्रधानों के रिकार्डों की छानबीन

पंचायत चुनाव की तैयारी में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अभी से जुट गया है। पुलिस प्रशासन वर्तमान प्रधानों, पूर्व प्रधानों सहित चुनाव की तैयारी में जुटे लोगों के रिकार्ड खंगालने लगा है। प्रशासन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव लड़ने से रोकना चाहता है, जिससे शांतिपूर्वक चुनाव कराए जा सकें। पंचायत चुनावों में भले ही अभी पांच–छह महीने का समय है, पर गांवों में लोगों ने अभी से प्रचार शुरू कर दिया है। चुनाव की अभी घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन शाम होते ही शराब का दौर शुरू हो गया है।

दूसरी ओर शासन–प्रशासन भी अभी से शांतिपूर्वक चुनाव की रणनीति बना कर उस पर अमल में लग गया है, क्योंकि त्रि–स्तरीय इस चुनाव में खून–खराबा होने का अंदेशा है। इसीलिए, पुलिस प्रशासन ने सभी थानाध्यक्षों को सभी लोगों के आपराधिक रिकॉर्डों की छानबीन करने के लिए कहा है। थानाध्यक्षों ने बताया कि जिले के दर्जनों गांवों के लोगों का रिकॉर्ड निकाल लिया गया है। जिले में ऐसे करीब पांच दर्जन से ज्यादा गांवों का सर्वे कर लिया गया है। इन गांवों में कई हिस्ट्रीशीटर और सजायाफ्ता लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि सजा पाए लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, पर वे परिवार के लोगों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं।

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि यह इसलिए भी किया जा रहा है कि चुनाव के समय कई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग धन–बल के सहारे प्रमाणपत्र ले लेते हैं। उस समय प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है, जबकि तथ्यों को छिपाकर चुनाव लड़ना गैर कानूनी है। ऐसे लोगों को जेल भेजा जा सकता है। चुनाव के समय सभी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का आपराधिक इतिहास सभी अफसरों के पास मौजूद रहेगा और कोई भी तथ्यों को नहीं छिपा सकेगा। अगर कोई तथ्यों को छिपाने का प्रयास करेगा तो वह पकड़ा जाएगा। पुलिस प्रशासन के गोपनीय तरीके से आपराधिक लोगों की छानबीन की खबर पर संभावित चुनावी उम्मीदवारों में खलबली मची है। इस साल प्रदेश में पंचायत, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूचियों में आने वाली आपत्तियों व संशोधनों का काम 22 जुलाई, 2010 से पहले पूरा कर लेने के निर्देश दिए हैं। मतदाता सूची का प्रकाशन अंतिम रूप से इस तारीख को कर दिया जाएगा।

जनसत्ता से साभार

राष्ट्रीय समाचार

पंचायतों में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों के अध्यक्ष व प्रमुख

पद पर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने वाले संवैधानिक प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अध्यक्ष व प्रमुख के एकल पदों पर आरक्षण को सही ठहराते हुए संविधान के अनुच्छेद 243 डी व 243 टी को संवैधानिक ठहराया है। कोर्ट ने साफ किया है कि आरक्षण की सीमा को लेकर राज्य के कानूनों को अलग से चुनौती दी जा सकती है।

इस फैसले में कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत की तो याद दिलाई है, लेकिन आदिवासियों के लिए अधिसूचित क्षेत्र में इस नियम से छूट भी दी है। दूरगामी परिणाम वाले संविधान पीठ के इस फैसले से एक बार फिर ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट की मुहर लग गई है। मुख्य न्यायाधीश के.जी.बालाकृष्णन, न्यायमूर्ति आर. वी.रवींद्रन, न्यायमूर्ति डी.के.जैन, न्यायमूर्ति पी. सथाशिवाम और न्यायमूर्ति जे.एम.पांचाल की पीठ ने उत्तर प्रदेश व कर्नाटक में पंचायतों व नगर निकायों के अध्यक्ष पदों पर आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया है। पीठ ने कहा है कि पंचायतों और नगर निकायों में आरक्षण के ये प्रावधान शिक्षा और नौकरी में आरक्षण से अलग हैं। संविधान के इन प्रावधानों में राज्य सरकारों को सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए सकारात्मक कदम उठाने का अधिकार दिया गया है।

दैनिक जागरण से साभार

धनराशि का उपयोग : मूल्यांकन

केंद्र सरकार ने गांवों में स्वच्छता की स्थितियों में सुधार के लिए पंचायती राज संस्थाओं को एक राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत दी जाने वाली 400 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि के उपयोग के बारे में मूल्यांकन का फैसला किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2005–08 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए निर्मल ग्राम पुरस्कार के प्रभाव एवं निरंतरता के बारे में मूल्यांकन अध्ययन करने का फैसला लिया है।

मंत्रालय ने कहा है कि इस अध्ययन के बारे में प्रगति की गति पर प्रभाव का मूल्यांकन करना है। साथ ही, यह भी पता किया जाएगा कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य, शिक्षा, जेंडर सशक्तीकरण और सामाजिक समावेशन पर क्या प्रभाव पड़ा। अध्ययन में इस प्रावधान की निरंतरता एवं टिकाउपन और समय बीतने के साथ सेनिटेशन की सुविधाओं के इस्तेमाल के बारे में मूल्यांकन किया जाएगा।

मंत्रालय ने 2003 में अपने पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत निर्मल ग्राम पुरस्कार लांच किया था और 2005 में पहली बार ये पुरस्कार प्रदान किए गए। अपने–अपने इलाके में पूर्ण स्वच्छता में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए अब तक 22,444 ग्राम पंचायतों, 165 ब्लॉक पंचायतों और 10 जिला परिषदों को इस पुरस्कार से सम्मानित करते हुए इंसेन्टिव राशि दी गई है। इंसेन्टिव राशि पाने वाली पंचायती राज संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने इलाके में सेनिटेशन की सुविधाओं में सुधार लाने में इस राशि का उपयोग करें। पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सूचना, शिक्षा एवं संचार, क्षमता निर्माण और स्वच्छता पर जोर दिया जाता है।

पंचायती राज अपडेट से साभार

राष्ट्रीय पंचायत केडर तैयार करने की योजना

पत्रिका के नई दिल्ली स्थित संवाददाता राकेश शुक्ला की खबर के अनुसार पंचायतों की दूसरे विभागों पर निर्भरता खत्म करने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय पंचायत कैडर तैयार करने की योजना बना रही है। अगर सब कुछ ठीक–ठाक रहा तो वर्ष 2017 तक पंचायती राज व्यवस्था के लिए समर्पित अधिकारियों की एक बड़ी फौज खड़ी होगी, जिन पर उसे पंच परमेश्वर की तरह चलाने की जिम्मेदारी होगी। देश में डेढ़ दशक पहले लागू हुई पंचायती राज व्यवस्था के मूर्तरूप नहीं ले पाने से चिंतित केंद्र सरकार ने पाया कि इसका मूल कारण जमीनी तौर पर जानकारी का अभाव है। इस विसंगति को दूर करने के लिए केंद्रीय स्तर पर विशेष सेवा कार्य अधिकारी का प्रारूप तैयार करने का विचार बना और उस पर काम शुरू हो गया। केंद्र सरकार पंचायतों के अधिकारियों के चयन के लिए उसी तरह के नियम कायदे बना रही है, जैसे राज्य सेवा आयोग के होते हैं। परीक्षा के प्रारूप सहित पंचायतों में काम करने वाले छोटे–बड़े अधिकारियों के पद नाम, वेतनमान, दायित्त्व और कार्य विभाजन का खाका तैयार करने के लिए शिक्षण संस्थाओं से प्रस्ताव मंगाए गए हैं। इन सारे प्रस्तावों का अवलोकन कर प्रशासनिक सुधार आयोग उसे अंतिम रूप देकर सभी राज्य सरकारों के पास भेजेगा।

साभार : रा.पत्रिका, 28 मई 2010

आई.एस.एस.टी.,
अपर ग्राउंड फ्लोर, कोर 6–ए,
इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड,
नई दिल्ली–110 003 द्वारा प्रकाशित
संयोजन : मंजुश्री मिश्र
साज–सज्जा : दीपा मेहरा
ई–मेल : isstdel@isst-india.org
वेबसाइट : www.isst-india.org
फोन : 91-11-47682222, 47682234

उमा प्रचार

अंधेरे में उम्मीद
चित्रा पंचकर्ण

उत्तर भारत में राजस्थान पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर

दलित सरपंचों के साथ अपने ही कार्यालय में भेदभाव
राधा शर्मा

अन्य समाचार

केवल निजी वितरण के लिए

यह अंक

दिल्ली में कुछ समय से 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज से भिन्न एक महिला पंचायत कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम दिल्ली महिला आयोग और गैर–सरकारी महिला संस्थाओं के सहयोग से चल रहा है। दिल्ली की अलग–अलग बस्तियों में लगभग 85 महिला पंचायतें काम कर रही हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम– 2005 को कानूनी रूप दिलाने में भी इन महिला पंचायतों की प्रमुख भूमिका रही है।

अंधेरे में चिराग जला रही इन महिला पंचायतों की सफलता की कहानी बता रही हैं – चित्रा पंचकर्ण।

पंचायती राज संस्थाओं को अधिकारों के हस्तांतरण के मामले में बहुत जल्दी ही राजस्थान देश का पहला राज्य बनने वाला है। विकेंद्रीकृत योजना के लिए पांच विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इन विभागों को दिशा–निर्देश बनाने के लिए कहा गया है।

आरक्षण के माध्यम से दलित महिलाओं को पंचायती राज में भागीदारी तो मिल गई है, लेकिन उनके साथ होने वाले भेदभाव में कोई कमी नहीं आई है। गुजरात की नवसृजन ट्रस्ट नामक सामाजिक संस्था द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से यह बात सामने आई है। प्रस्तुत है यहां उच्च और निम्न वर्ग के बीच होने वाले भेदभाव की जानकारी।

इसके अलावा प्रस्तुत है पंचायती राज संबंधित कुछ अन्य जानकारियां।

अंधेरे में उम्मीद

चित्रा पंचकर्ण

बरसों अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद भी पति से अलग रह रही मीना को न तो न्याय मिला और न भरण–पोषण के लिए खर्च ही। थक हार कर मीना बस्ती की महिला–पंचायत में गई। वहां उसे न्याय मिला। पति चार साल से उसे हर महीने गुजारे के लिए रकम दे रहा है। मीना इस फैसले से बहुत खुश है। इसी पंचायत ने सुनीता को घरेलू हिंसा से बचाया। सुनीता घरों में बर्तन मांजकर अपना और बच्चों का पेट पालती थी। पति जो कमाता शराब में लुटा देता। कुछ कहने पर उसकी पिटाई भी करता। तब सुनीता ने महिला–पंचायत में गुहार लगाई। यहां उसे हौसला और आत्मबल मिला। उसके पति को पंचायत की बैठक में बुलाया गया। पति–पत्नी दोनों को सामने बैठाकर मध्यस्थता की गई। आज सुनीता चैन के साथ रह रही है।

घर–गृहस्थी की जिम्मेदारियों को निभाती रामवती को जीवन में अकेलेपन का एहसास होने लगा था। पंचायत में आकर उसे सुख–दुख बांटने वाली महिलाएं मिलीं और दूसरों की मदद करने का आत्मसंतोष। शादी जल्दी होने के कारण सुमन आगे पढ़ नहीं पाई और उसे नौकरी नहीं कर पाने का दुख था। लेकिन पंचायत की सदस्य बनने के बाद उसमें ढेरों बदलाव आए। कई तरह के प्रशिक्षण उसने लिए। आज वह खुद को सशक्त और आत्मविश्वासी महिला के रूप में देखती है। ऐसी ही ढेरों महिलाएं हैं, जिन्हें महिला पंचायत में आकर सामूहिक ताकत का एहसास हुआ और वे सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया से जुड़ी हुई हैं।

जमीन स्तर से जुड़ा महिला पंचायत कार्यक्रम दिल्ली महिला आयोग और गैर–सरकारी व महिला संस्थाओं के सहयोग से दिल्ली में चलाया जा रहा है। दिल्ली की अलग–अलग बस्तियों में लगभग 85 महिला पंचायतें महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए बहुत ही कर्मठता से काम कर रही हैं। महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम–2005 को कानून का जामा पहनाने में इन महिलाओं की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है।

पंचायतों की परिकल्पना कोई नई नहीं है। सदियों से लोगों की परेशानी और झगड़ों के फैसले बिरादरी या ग्राम पंचायत में किए जाते रहे हैं। लेकिन यहां न तो औरतें अपनी बात खुल कर कह पाती हैं और न उन्हें न्याय ही मिलता है। कोर्ट–कचहरी की व्यवस्था ऐसी है, जहां मामला सालों–साल लटकता रहता है। कचहरी में अक्सर गरीब खासतौर पर महिलाएं पहुंच ही नहीं पातीं और अगर पहुंच भी जाएं तो जानकारी न होने के कारण या मुकदमा लड़ने के लिए पैसा नहीं होने के कारण कुछ नहीं कर पातीं।

आज भी पारिवारिक जीवन में महिलाएं कई तरह के अत्याचार का सामना करती हैं। मारपीट से लेकर आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न से उन्हें लगातार जूझना पड़ता है। औरतों को उनके अधिकार और कानून के विषय में भी जानकारी नहीं होती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए औरतों के लिए औरतों के जरिए इंसाफ दिलाने के लिए महिला पंचायत का गठन किया गया। महिला–पंचायत ऐसा मंच है जहां वे अपने मन की बात बिना झिझक कह सकती हैं। वे अपने अधिकार और कानूनी जानकारी के जरिए खुद को ताकतवर बना सकती हैं। दिल्ली की सभी बस्तियों में हर सप्ताह एक निश्चित स्थान पर महिला–पंचायत की बैठक

होती है। इसी बैठक में पीड़िता की समस्या को बहुत ही गंभीरता के साथ सुना जाता है। उनसे लिखित अर्जी ली जाती है और पत्र भेजकर दूसरे पक्ष को भी तय तिथि पर आने के लिए कहा जाता है। दोनों पक्ष अपनी–अपनी बात रखते हैं। महिला की सहमति के आधार पर ही कोई फैसला लिया जाता है। उसे कई तरह के विकल्प सुझाए जाते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय महिला पर ही छोड़ा जाता है। लिखित फैसले पर सभी के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। इसी बीच पीड़िता के घर जाकर बहनें उसकी खोज–खबर भी लेती रहती हैं। पंचायत की बैठक में महिला मुद्दों पर चर्चा होती है और तीज–त्यौहार सौहार्द्र के साथ मनाए जाते हैं। रोजमर्रा की समस्याओं जैसे बिजली, पानी और मंहगाई जैसे मुद्दों पर भी पंचायत से जुड़ी महिलाएं सतर्क और जागरूक हैं।

पंचायत की बहनों को गली–मोहल्ले में मान–सम्मान मिलता है। उनके विचारों को मान्यता दी जाती है। लोग कहते हैं कि महिला पंचायत निष्पक्ष फैसला करती है। आज ये कार्यक्रम वैकल्पिक न्यायायिक व्यवस्था के रूप में लोकप्रियता हासिल कर रहा है और महिला सशक्तीकरण की एक मुखर आवाज बन चुका है।

समाज में पितृ–सत्तात्मक मूल्यों को चुनौती देती महिला पंचायत की ये बहनें सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। किसी ने सच ही कहा है कि अंधेरे की शिकायत करने से अच्छा एक छोटा–सा दिया जलाया जाए। महिला पंचायत की बहनें इसी कहावत को चरितार्थ कर रही हैं।

जनसत्ता से साभार

उत्तर भारत में राजस्थान पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर

पंचायती राज संस्थाओं को अधिकारों के हस्तांतरण के मामले में उत्तर भारत में राजस्थान पहला राज्य बनने जा रहा है। इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए राज्य के पांच विभाग तेजी से जुट गए हैं। इसमें वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार का हस्तांतरण भी शामिल है।

विकेंद्रीकृत आयोजना के लिए चिन्हित विभाग हैं : चिकित्सा और स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, सामाजिक न्याय, महिला और बाल विकास तथा कृषि। इन विभागों में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के सिलसिले में एक रोडमैप बनाने को कहा गया है। यह फिलहाल पंचायती राज संस्थाओं तक सीमित होगा और स्थानीय शहरी निकायों में लागू नहीं होगा। 2003–04 में भी राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने कुछ विभागों के मामले में यह कदम उठाया था, लेकिन बाद में वसुंधरा राजे के नेतृत्त्व में भारतीय जनता पार्टी की सत्तारूढ़ सरकार ने इस प्रक्रिया को उलट दिया।

कुछ समय पहले राज्य आयोजना बोर्ड के उपाध्यक्ष और अर्थशास्त्री वी.एस.व्यास के नेतृत्त्व में उच्चाधिकारियों की एक टीम ने विकेंद्रित आयोजना के केरल मॉडल के अध्ययन के लिए केरल के तीन जिलों का दौरा किया। उसने कोल्लम, कोच्चि, त्रिवेंद्रम और कुछ ग्रामीण इलाकों में जाकर सशक्तीकरण प्रक्रिया की जानकारी ली। टीम में प्रमुख सचिव जीडी गुप्ता शामिल थे। अपनी यात्रा के बाद टीम के सदस्यों ने मुख्यमंत्री गहलोत के साथ एक बैठक की।

डॉ. व्यास ने 'हिंदू' अखबार के साथ बातचीत में बताया कि "हम राजस्थान में केरल मॉडल को पूरी तरह नहीं अपना सकते क्योंकि दोनों

राज्यों की स्थितियां भिन्न हैं। पर, केरल मॉडल की उपलब्धियों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यह तय किया गया है कि संस्थापन, प्रोन्नति, वेतनमान से संबंधित मामलों में विभाग के स्टाफ पर मूल विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण बना रहेगा, पर कार्यात्मक उपस्थिति पंचायती राज संस्थाओं के साथ रहेगी। एक त्रिस्तरीय फॉर्मेट अपनाया जाएगा, जिसमें स्टाफ का समूह जिला परिषद्, दूसरा समूह पंचायत समिति और तीसरा समूह पंचायतों के लिए उत्तरदायी होगा।" प्रशासनिक विभाग संबंधित पंचायती राज संस्थाओं को त्रिस्तरीय स्टाफ आवंटित करेगा। ये विभाग पंचायती राज संस्थाओं को अवकाश मंजूरी, एसीआर लिखने और हल्का दंड लगाने विशेष अधिकारों की रूपरेखा तैयार करेंगे।

बदलाव के पहले चरण में जिला और ब्लॉक स्तर पर पारित बिल मौजूदा प्रणाली के मुताबिक ही प्रोसेस किए जाएंगे, पर विशेष शर्त यह होगी कि सभी बिलों पर जिला परिषदों और पंचायत समितियों के प्राधिकृत अधिकारियों के काउंटर हस्ताक्षर होंगे। डॉ. व्यास ने बताया कि "इसका उद्देश्य पांचों विभाग के स्टाफ को यह संदेश देना है कि अब वे पंचायती राज संस्थाओं के प्रति उत्तरदायी होंगे।" दूसरे चरण में संबंधित जिला परिषदों और पंचायत समितियों के प्राधिकृत अधिकारियों को बजटीय मद के इस्तेमाल के अधिकार सौंपने के बारे में विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा – "अंतिम चरण में विभागों से पंचायती राज संस्थाओं को फंड्स का पूरी तरह हस्तांतरण करना संभव होगा।"

डॉ. व्यास कहते हैं कि जन प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण पर समान रूप से जोर देना जरूरी है ताकि जनता के सशक्तीकरण को मजबूती प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि लाने के लिए पूरे राज्य में अभियान चलाया जाना चाहिए।

द हिंदू से साभार

दलित सरपंचों के साथ अपने ही कार्यालय में भेदभाव

राधा शर्मा

गुजरात के अहमदाबाद जिले की ग्राम पंचायत सदस्य रजनीबेन के पास पंचायत के अन्य सदस्यों की तरह बैठने के लिए कुर्सी नहीं होती। उनके लिए कार्यालय में एक टाट रखा है, जिसका वह पंचायत की बैठकों में फर्श पर बैठने के लिए इस्तेमाल करती हैं। यह इसीलिए होता है क्योंकि रजनीबेन दलित हैं तथा उन्हें ऊंची जाति के अन्य सदस्यों के साथ बैठने की अनुमति नहीं है। कार्यालय में होने वाले भेदभाव पर हुए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि करीब 65 प्रतिशत दलित सरपंचों के अपने ही कार्यालय में चाय या पानी पीने के लिए अलग बर्तन होता है। करीब 40 प्रतिशत को कुर्सियों पर बैठने नहीं दिया जाता है।

"दलित महिलाओं का ग्रामीण पंचायती राज में राजनीतिक भागीदारी का अधिकार" नामक यह सर्वेक्षण गुजरात और तमिलनाडु के 200 महिला सरपंचों तथा पंचायत सदस्यों के बीच किया गया। गुजरात की नवसृजन ट्रस्ट नामक सामाजिक संस्था द्वारा यह अध्ययन 100 दलित महिलाओं पर किया गया। इनमें से 86 सरपंच हैं और 14 ने पद के लिए नामांकन भरा था, लेकिन सामाजिक तथा राजनीतिक दबाव के कारण चुनाव नहीं लड़ सकीं। यह 'सर्वेक्षण वादा न तोड़ो अभियान' द्वारा अहमदाबाद के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर महिला न्यायाधिकरण में जारी किया गया। इस न्यायाधिकरण में वंचित वर्गों – जैसे आदिवासी, दलित तथा मुस्लिम–

की करीब 200 महिलाओं ने भाग लिया।

सर्वेक्षण से स्पष्ट हुआ कि कार्यभार ग्रहण कर लेने का यह मतलब नहीं है कि दलित महिलाओं के साथ भेदभाव खत्म हो जाएगा। 64.5 प्रतिशत दलित महिलाओं ने बताया कि वे दूसरे लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तनों में चाय नहीं पी सकतीं और 38 प्रतिशत ने बताया कि वे भोजन या नाश्ते के लिए उन बर्तनों का उपयोग नहीं कर सकती, जिनका उपयोग ऊंची जातियों के प्रतिनिधि करते हैं।

नवजीवन ट्रस्ट की निदेशक मंजुला प्रदीप ने कहा, "कोई महिला ग्राम पंचायत के सबसे ऊंचे सरपंच पद पर हो सकती है, फिर भी वह अलग बर्तन इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है, क्योंकि वह दलित है।"

नवसृजन ट्रस्ट के अनुसार 85 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि प्रॉक्सी राजनीति की शिकार हैं। सिर्फ एक तिहाई दलित महिलाओं का कहना है कि उन्हें पंचायत चुनाव जीतने के लिए स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाता है। प्रॉक्सी राजनीति दलित प्रतिनिधियों के बीच सबसे बड़ी समस्या है। करीब 85 प्रतिशत दलित महिलाओं का कहना है कि उन्हें पंचायत राजनीति में किसी दबंग जाति की महिला या उनके पतियों द्वारा ढकेला जाता है। दबंग जाति की महिला ज्यादातर पति के साथ काम कर रही होती है। कई बार दबंग जातियां दलित उम्मीदवार को खड़ा कर आरक्षण नीति को नाकाम बना देती है। आनंद की गंगाबेन एक ऐसा प्रमुख उदाहरण है, जिन्हें दबंग जाति के एक व्यक्ति ने उनकी जानकारी के बिना आम सहमति से सरपंच पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया, जबकि अपनी पत्नी को उप–सरपंच घोषित किया। एक रात पहले उन्हें यह समाचार देकर धमकी दी गई कि पंचायत प्रशासन में दबंग जाति के व्यक्ति का नियंत्रण न मानने पर उनके पति को काम देना बंद कर दिया जाएगा।

नवसृजन ट्रस्ट की निदेशक मंजुला प्रदीप ने कहा, अब हमें दलित महिला सरपंचों द्वारा झेली जा रही समस्याओं, भेदभाव और अन्य मामलों के बारे में पता चल रहा है। आरक्षण के जरिए दलित महिलाओं ने अधिकार तथा स्वतंत्रता की दिशा में छोटे कदम उठाए हैं। हम भविष्य में एक बड़े सामाजिक परिवर्तन के लिए उनके साथ मिलकर काम करेंगे।

साभार : द टाइम्स ऑफ इंडिया, 6 सितंबर 2010

राज्य समाचार

झारखंड

पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण

झारखंड की पंचायतों में महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण देने वाले संशोधन विधेयक को लोकसभा ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री सी.पी. जोशी ने सदन को आश्वासन दिया है कि वह राज्यपाल से बात कर राज्य में जल्दी ही पंचायत चुनाव करवाएंगे। लोक सभा में पेश विधेयक पर चर्चा में विभिन्न दलों के सांसदों ने इसका समर्थन तो किया, लेकिन सरकार को यह भी याद दिलाया कि झारखंड में पंचायत (एक्सटेंशन टू शेडयूल्ड एरिया) एक्ट (पेसा कानून) सही तरह से लागू होने पर ही इसका फायदा मिलेगा।

पं.रा.अ.से साभार

पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी

तीन दशक बाद झारखंड में होने वाले

पंचायत चुनाव की अधिसूचना 12 अक्टूबर को जारी कर दी गई। पांच चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव प्रक्रिया 27 अक्टूबर से शुरू होकर 28 दिसंबर को पांचवें चरण के बाद समाप्त होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव में मामूली फेरबदल किया गया है। 13 दिसंबर को होने वाली तृतीय चरण की वोटिंग की मतगणना 16 की बजाय 20 दिसंबर को होगी। पंचायती राज विभाग द्वारा अधिसूचना की कॉपी राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है। राज्य के 24 जिलों के 259 प्रखंडों की 4,423 पंचायतों में चुनाव होंगे। इसमें 43,916 प्रादेशिक, 4,423 मुखिया, 4,423 पंचायत समिति के क्षेत्रीय और 445 जिला परिषद् के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। मतदान केंद्रों की कुल संख्या 43,922 है। सरकारी अधिसूचना के बाद राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक चरण के पूर्व अधिसूचना जारी करेगा और चुनाव वाले क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो जाएगी।

पं.रा.अ.से साभार

त्रिपुरा

15 नगर पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण

राज्य सरकार ने अगरतला नगरपालिका परिषद (एएमसी) और 15 नगर पंचायतों सहित स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। संयुक्त चुनाव अधिकारी डी.के.रॉय ने बताया कि इस बारे में राज्य चुनाव आयोग ने हाल ही में अधिसूचना का एक मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत अगरतला नगरपालिका परिषद की 230 सीटों में से 112 और 15 नगर पंचायतों के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ये चुनाव आगामी दिसंबर में होने की आशा है। इस फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया है।

पं.रा.अ.से साभार

उत्तर प्रदेश : दिसंबर में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव

राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों के बाद पंचायत अध्यक्षों के निर्वाचन का भी कार्यक्रम घोषित कर दिया है। निर्वाचन आयोग के अपर आयुक्त लाल बिहारी के अनुसार 13 जनवरी 2011 को पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इस दृष्टि से पंचायत अध्यक्षों के चुनाव के लिए शीघ्र ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार पंचायत अध्यक्षों के लिए नामांकन 5 दिसंबर को, नाम वापिसी 8 दिसंबर को, मतदान 12 दिसंबर को और मतदान के बाद मतगणना भी 12 दिसंबर को ही की जाएगी।

पं.रा.अ.से साभार

राष्ट्रीय समाचार

वनवासियों को वनों से ज्यादा आय दिलाने पर विचार

नितिन सेठी

वनों से प्राप्त होने वाली गैर–लकड़ी सामग्रियों का कुल सालाना कारोबार 50,000 करोड़ रुपए का होता है, लेकिन आश्चर्य है कि वहां रहने वाले वनवासियों को केवल 4000 करोड़ रुपए का दाम ही मिलता है। वनों से मिलने वाली गैर–लकड़ी सामग्रियों – कंद–मूल, पत्ती, बीज, पौधे, जड़ आदि का व्यवसाय बड़े पैमाने पर धन कमाने का एक जरिया बन चुका है, फिर भी आदिवासी फटेहाल जिंदगी जीने को विवश हैं। लेकिन अब सरकार ऐसा कदम उठाने जा रही है, जिससे आदिवासियों को इन चीजों से अधिक आय हुआ करेगी। सरकार ने एक समिति गठित की है, जो तीन महीने के भीतर धान और गेहूं की तरह ही इन चीजों के लिए

न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करेगी।

यह समिति टी. हक की अध्यक्षता में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित की गई है, जो पूरे व्यवसाय की समीक्षा करेगी और इस व्यवसाय से आदिवासियों को होने वाली आय में वृद्धि के तरीके सुझाएगी। समिति में वनवासी मामलों, पर्यावरण और वन, ग्रामीण विकास एवं गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ–साथ योजना आयोग के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। समिति यह भी विचार करेगी कि गैर–लकड़ी सामग्रियों के उत्पादन के स्वामित्त्व पर ग्राम सभा किस तरह नियंत्रण रख सकती है। सरकार को लगता है कि इन चीजों से वनवासियों को बहुत कम आय मिलती है, जबकि ये लोग ही अपनी आजीविका के लिए इन चीजों का संरक्षण करते हैं।

इसके पहले गृह सचिव जी. के. पिल्लई के अंतर्गत बनी एक समिति ने इस मामले पर विचार–विमर्श किया था। हालांकि वन विभाग ने मौजूदा स्थिति का पक्ष लिया था, लेकिन पंचायती राज विभाग ने कहा कि पांचवीं अनुसूची के इलाकों में ज्यादातर वनवासी होते हैं और पंचायत अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभाओं को वन उत्पाद का स्वामित्त्व देने का प्रावधान किया गया है, जिसको अमल में नहीं लाया जा रहा है।

नई समिति गैर–लकड़ी सामग्रियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के तौर–तरीकों पर विचार करेगी। यह इन चीजों संग्रहण और मार्केटिंग संबंधी वर्तमान ढांचे का अध्ययन कर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के कदमों के बारे में सुझाव देगी।

साभार : द टाइम्स ऑफ इंडिया, 6 सितंबर 2010

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू

लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू कर दी है। इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत पहले चरण में बिहार के 225, राजस्थान के 225 और असम के उन सौ गांव को आदर्श गांव में तब्दील किया जाएगा, जहां दलितों की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है। इसी चरण में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के भी इतने ही गांवों को आदर्श ग्राम बनाने की योजना थी, पर दोनों राज्य सरकारों ने इसके लिए प्रस्ताव ही नहीं भेजा है। गांवों को हर मायने में आदर्श बनाने के लिए प्रत्येक गांव को दस लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए कुछ मानदंड तय किए गए हैं। इन आदर्श गांवों में सड़क, स्कूल, अस्पताल, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उच्च स्तर की होंगी। ऐसे गांवों में कोई शराब और ड्रग्स का सेवन नहीं करेगा।

पंचायती राज अपडेट से साभार

निर्मल ग्राम पुरस्कार : वास्तविकता

भक्ति वी. हेगड़े

दक्षिण कन्नड़ जिले की सभी 203 ग्राम पंचायतों तथा तीन ब्लॉक पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार मिलने के बाद बहुत से आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए हैं। इनके अनुसार पुरस्कार मिलने के बावजूद प्रत्येक ग्राम पंचायत के अनेक घरों में शौचालय नहीं हैं। इस तथ्य ने स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली पर तो सवाल किया ही है ग्राम पंचायतों को दिए जाने वाले इस पुरस्कार की चयन प्रक्रिया को भी संदेह के घेरे में ला दिया है।

जिला परिषद ने गलती खोजने के प्रयास तथा निर्मल ग्राम पुरस्कार के बाद की स्थिति का पता लगाने के लिए आंगनवाड़ी कर्मचारियों और स्त्री समूहों को सभी 203 ग्राम पंचायतों में

सर्वेक्षण करने तथा जिन घरों में शौचालय नहीं हैं, उनकी विस्तृत जानकारी एकत्र करने के लिए कहा है। इस जानकारी से पता चला है कि पुरस्कार विजेता बतंवल तालुक की सरपदी ग्राम पंचायत के 330 घरों में अभी तक शौचालय नहीं हैं। उली के 300, पजीर के 250 तथा कदेशवालया के 225 घरों में शौचालय नहीं हैं। इसी तरह पुत्तूर तालुक की कनिपुर ग्राम पंचायत में 220, बेलंदूर में 191, कोदिवादी में 74, अरियाकदा में 101, केदाम्बदी में 204, उप्सीनांगदी में 58, पेजाश्यूर में 82 और नेक्कीलदी में पांच घर बिना शौचालय के हैं। स्वयंसेवकों का कहना है कि यह तो तस्वीर का एक ही पहलू है। सभी ग्राम पंचायतों की लगभग यही स्थिति है। उन्होंने बताया कि उन पर संख्याओं में हेराफेरी के लिए हर कोने से लगातार दबाव पड़ रहा है। इसका प्रत्युत्तर देते हुए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. शिवशंकर ने कहा कि "यह सर्वेक्षण उन्होंने खुद करवाया ताकि वे अपनी भूलों को पहचान कर उसमें सुधार कर सकें।" सर्वेक्षण के दौरान स्वयंसेवक सभी 203 ग्राम पंचायतों का दौरा कर स्थिति की सही रिपोर्ट देंगे। सर्वेक्षण का कार्य सूचना, शिक्षा तथा संचार आईईसी के अंतर्गत किया गया है तथा इसके लिए खर्च भी आईसी से ही लिया जाएगा।

उन्होंने कहा, मैं बिना शौचालय के लगभग 50 घरों की उम्मीद कर रहा हूं। जहां तक कार्यवाही का सवाल है, रिपोर्ट पता चलने के बाद, ग्राम पंचायतों को अपने खर्च पर शौचालय बनवाने होंगे। सूत्र के अनुसार, यह सारा खेल पुरस्कार तथा पुरस्कार के साथ आने वाली राशि का है। स्थानीय शासकीय निकायों के अलावा निरीक्षण के लिए आई समिति भी बराबर की दोषी है। ग्राम पंचायत सदस्य समिति सदस्यों को बड़ी दावतें तथा रिश्वत देकर अपना काम करवा लेती है। समिति सदस्यों के पास अच्छा दर्जा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता है। जिले में संपूर्ण स्वच्छता आंदोलन की वास्तविकता के उजागर होने के बाद अब जिन ग्राम पंचायतों ने सच में मेहनत का पुरस्कार प्राप्त किया था, उनकी वास्तविकता पर भी उंगली उठने लगी है। शिवशंकर ने बताया कि 2006–07 में जिन 49 ग्राम पंचायतों ने पुरस्कार जीता था, उन्होंने जीती गई सारी राशि का इस्तेमाल किया था। बाकी ग्राम पंचायतों की, जिन्होंने 2007–08 तथा 2008–09 में पुरस्कार जीता, राशि अभी भी जिला पंचायत के पास है।

डेक्कन हेराल्ड से साभार

आई.एस.एस.टी.,
अपर ग्राउंड फ्लोर, कोर 6–ए,
इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड,
नई दिल्ली–110 003 द्वारा प्रकाशित
संयोजन : मंजुश्री मिश्र, साज–सज्जा : दीपा मेहरा
ई–मेल : isstdel@isst-india.org
वेबसाइट : www.isst-india.org
फोन : 91-11-47682222, 47682234